Con. 3. XI.3.49
320

अंक 11
संख्या 3

बुधवार
16 नवम्बर
सन् 1949 ई.

सत्यमेव जयते

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

संविधान का मसौदा–(जारी) 3613–3701
[अनुच्छेदों का संशोधन–(जारी)]

भारतीय संविधान सभा

बुधवार, 16 नवम्बर, सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा, कान्स्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे, अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा–(जारी)

***अध्यक्षः** हम अब लेंगे.....

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगालः मुस्लिम) मेरा एक औचित्य प्रश्न है। पुनरीक्षित संविधान-प्रारूप हमें उपलब्ध हुआ था उसके पश्चात् शुद्धियों की सूची के रूप में हमें बहुत सी शुद्धियां भेजी गई थीं—वह थी सूची सं. 1, और मैं समझता हूं कि पुनरीक्षित प्रारूप को सदन ने सूची 1 के सुधारों के साथ स्वीकार किया था। उसके पश्चात् उसी दिन, अर्थात् इस मास की 14 तारीख को एक और सूची हमें दी गई थी—वह थी सूची 2। फिर कल एक और बड़ी सूची हमें भेजी गई थी—वह थी सूची 3। इन सूचियों में कुल मिला कर 200 से अधिक परिवर्तन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन का यह विनिश्चय कि 'संविधान के पुनरीक्षित प्रारूप पर इन शुद्धिसूचियों के साथ विचार किया जाना चाहिये' शुद्धि सूची सं. 2 तथा 3 पर भी लागू होना चाहिये। वे हमारे पास उस समय आई थीं जब कि हम प्रारूप को शुद्धि-सूची सं. 1 के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय कर चुके थे। दूसरे शब्दों में, क्या शुद्धि-सूची 2 तथा 3 का पूर्ववर्ती प्रभाव होगा। यदि उनका प्रभाव पूर्ववर्ती होगा तो उनसे बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। कुछ संशोधन केवल औपचारिक ही नहीं, वरन् सारवान भी थे। इससे सदस्यों के इस अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा कि वे इनके निर्देश से संशोधनों की सूचनाएं दे सकते हैं। वे विनिश्चय के पश्चात् परसों तथा कल भेजे गये थे। इससे बड़ी बात यह है कि मेरे कुछ संशोधन, जिन्हें मैंने पेश नहीं किया था, चुराये गये हैं और उन्हें उन अंतिम शुद्धि-सूचियों में शामिल कर दिया गया है।

***अध्यक्षः** क्या आपको उन शुद्धियों पर भी आपत्ति है जो आपके संशोधनों से चुराई गई हैं?

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** नहीं। मैं इसके लिये मसौदा समिति का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह सम्मान प्रदान किया है।

---

* इस चिह्न का अर्थ यह है कि यह अंग्रेज़ी वक्तृता का हिन्दी अनुवाद है।

***अध्यक्षः** जैसा कि मुझे पता लगा है, वे शुद्धियां केवल शुद्धियां हैं, उनमें वही बात है जो पहले थी, और जो मुद्रित प्रारूप में मुद्रक की गलती के कारण नहीं आ सकी। मैं समझता हूं कि शुद्धियां वे ही हैं, कुछ और नहीं। अतः सब शुद्धियों को मसौदा समिति द्वारा पेश किये गये संविधान का अंग समझना चाहिये।

अनुच्छेदों का संशोधन–(जारी)

***अध्यक्षः** मैं अब अन्य अनुच्छेदों को जल्दी जल्दी लूंगा, जिनकी सूचना आई है। मैं अब सूची 4 को लेता हूं।

अनुच्छेद 32 पर संशोधन सं 548 है जो मसौदा समिति का संशोधन है।

***एक माननीय सदस्यः** सूची सं. 4?

***अध्यक्षः** हां। हमने सूची 2 को कल समाप्त किया था, और अब मैं सूची 4 के संशोधनों को लूंगा।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्य प्रदेश तथा बरारः जनरल): सूची 3 का क्या हुआ?

***अध्यक्षः** मैं सूची 3 को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वह देर में आई थी।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** किन्तु सूची 3 केवल छोटी-सी सूची है, श्रीमान्।

***अध्यक्षः** किन्तु सूची 3 समय के पश्चात् आई थी।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान, उसमें जरा सी ही देर हुई थी, और क्योंकि हम अधिकांश संशोधनों पर विचार कर रहे हैं अतः उस पर भी कृपया विचार कर लिया जाये।

***अध्यक्षः** जैसा कि मैं कह चुका हूं मैं किसी संशोधन विशेष को उसके गुणावगुण देख कर पेश करने दूंगा। यदि कोई सदस्य उस पर जोर देगा, किन्तु सूची के रूप में मैं उस सूची को नहीं लूंगा।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** श्रीमान, मेरा मतलब सूची 3 के संशोधन सं. 530 से ही है।

***अध्यक्षः** उस पर हमने कल विचार किया था।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** क्या हम उसे पेश किया हुआ समझ लेंगे?

***अध्यक्षः** हां। अब मैं सूची 4 को तथा अनुच्छेद 32 पर संशोधन सं. 548 को लेता हूं। वह मसौदा समिति का है। मैं देखता हूं कि उस संशोधन पर कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं उसे पेश किया हुआ समझ लेता हूं:

"कि अनुच्छेद 32 के खंड (4) में, 'rights' शब्द के स्थान पर 'right' शब्द रख दिया जाये।

फिर अनुच्छेद 48 और संशोधन संख्या 549 है। अब इसी संशोधन में प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना का पेश किया हुआ संशोधन भी आ जाता है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत: जनरल): मैं उस संशोधन को वापस लेता हूं।

***अध्यक्ष:** आप उस संशोधन को वापस लेते हैं, और हम उसके स्थान पर इसे स्वीकार करते हैं। सं. 549 इस प्रकार है:

"कि अनुच्छेद में 'for improving the breeds of milch and draught cattle including cows and calves and for prohibiting their slaughter' इन शब्दों के स्थान पर 'for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle' ये शब्द रखे जायें।"

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल) क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि अनुच्छेद 106 को तथा उस पर सूची 7 के संशोधन को ले लिया जाये?

***अध्यक्ष:** इसके स्थान पर।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** नहीं वह स्वतंत्र है।

***अध्यक्ष:** मैं उसे बाद में लूंगा।

अनुच्छेद 148, संशोधन सं. 551। इस पर एक संशोधन सं. 618 है। मेरे विचार में वही मसौदा समिति का नवीनतम संशोधन है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हां, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** मैं कौन-सा लूं? 618 को ले लूं?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** सं. 618 अंतिम संशोधन है।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 148 पर तीन संशोधन हैं—551, 552 तथा 553।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हमने उन सबको हटा दिया है और संशोधन सं. 618 ही अन्तिम है।

***अध्यक्ष:** केवल एक ही संशोधन है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हां।

***अध्यक्षः** और हम अन्य खंडों को वैसे ही रहने दें?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** हां श्रीमान।

***अध्यक्षः** सूची 6 का संशोधन सं. 618।

"कि अनुच्छेद 148 के खंड (5) के स्थान पर, निम्न खंड रख दिया जाये:

'(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.' "

[(5) इस संविधान के तथा संसद निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।]

***अध्यक्षः** इस पर संशोधन सं. 593 है, श्री राज बहादुर का।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** संशोधन सं. 593 तो गिर जायेगा, श्रीमान। इस संशोधन के कारण वह अब उपयुक्त नहीं रहा है।

***श्री राज बहादुर** (मत्स्य का संयुक्त राज्य): मैं इसे पेश नहीं करना चाहता।

***अध्यक्षः** तो फिर मैं अनुच्छेद 222 को, तथा मसौदा समिति के संशोधन सं. 555 को लेता हूं। उस पर किसी सदस्य का कोई संशोधन नहीं है।

"कि अनुच्छेद 222 के खंड (1) में, 'The President may' इन शब्दों के पश्चात् 'after consultation with the Chief Justice of India' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

***अध्यक्षः** फिर अनुच्छेद 288—संशोधन सं. 556। यह भी मसौदा समिति का है। इसे कल पेश किया गया था।

अनुच्छेद 319, संशोधन 557।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** वह भी पेश किया गया था।

***अध्यक्षः** सं. 558 कल पेश हुआ था, 559 भी। फिर हम अनुच्छेद 347 तथा संशोधन सं. 560 पर आते हैं।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रदेश तथा बरार: जनरल): सं. 557 तथा 558 की क्या स्थिति है?

***अध्यक्ष:** वे कल पेश हुए थे। अब हम अनुच्छेद 347, संशोधन 560 पर आते हैं।

"कि अनुच्छेद 347 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रखा जाये:

347. *Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State*—On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.'"

[347. **किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध:** तद्विषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** श्रीमान, आप आगे बढ़ें, उससे पहले क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि मुझे संशोधन सं. 531 पेश करने दिया जाये जो सं. 530 से आनुषंगिक है? मैं उसे सूची 3 में से औपचारिक रूप में ही पेश करूंगा। वह आनुषंगिक संशोधन है, और यदि इसे स्वीकार किया जाये तो वह आवश्यक होगा।

***अध्यक्ष:** मैं उसे पेश किया हुआ समझ लूंगा। जब मतदान का समय आयेगा, तब मुझे स्मरण करवा देना। मैं इसे पेश किया हुआ समझता हूं।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** यह अतिरिक्त अनुच्छेद 340 क के विषय में है।

"कि अनुच्छेद 340 के पश्चात्, निम्न नया अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:—

'340A.(1) The President may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State, by public notification, specify the castes, communities or parts of, or groups within castes or

[श्री पी.एस. देशमुख]

communities which shall, for the purposes of this Constitution, be deemed to be 'Backward Classes' in relation to that State.

(2) The Parliament may, by law, include in or exclude from the list of Backward Classes, specified in a notification, issued under clause (1) any caste or community or part of or group within any caste or community but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.' "

***माननीय श्री के. सन्तानम** (मद्रास: जनरल): श्रीमान, यह संशोधन नहीं है, किन्तु यह तो मूल अनुच्छेद को प्रत्यावर्तन है। संशोधन सं. 531 वास्तव में संशोधन नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य मूल अनुच्छेद को बनाये रखना है।

***अध्यक्ष:** यह बात पूर्णत: ठीक नहीं है, कुछ परिवर्तन हैं; यद्यपि साररूप में कोई परिवर्तन नहीं है, तथापि शब्दों में थोड़ा सा अन्तर है।

खैर, फिर हम संशोधन सं. 605 पर आते हैं, और वह श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के नाम में है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं इसे पेश नहीं करना चाहता, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 379।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, हम संशोधन सं. 418 को स्वीकार कर रहे हैं और इस लिये सं. 568 को पेश करना अपेक्षित नहीं है।

***डॉ. पी.एस. देशमुख:** श्रीमान, अन्तिम प्रार्थना के रूप में मेरा निवेदन है कि मैं केवल एक संशोधन को पेश करने के लिए कुछ आतुर हूं और वह है अनुच्छेद 379 पर संख्या 535।

***अध्यक्ष:** नहीं, मैं नहीं समझता कि मैं उस संशोधन को पेश करने की अनुमति दे सकता हूं। यह बिल्कुल नया अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में जो कुछ है यह उससे बिल्कुल उल्टा है। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता, मुझे खेद है।

फिर हम अनुच्छेद 388 को लेते हैं, और उस पर संशोधन संख्या 566 है, श्री कृष्णमाचारी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हां ये सब संशोधन संख्या 566 से 570 तक, पेश किये जाते हैं।

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) में, 'the President of the Union' इन शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, 'the President of India' ये शब्द रख दिये जायें।"

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परन्तुक में 'mentioned in this article' इन शब्दों के स्थान पर 'mentioned in this clause' ये शब्द रख दिये जायें।"

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परन्तुक में, 'representing a State' इन शब्दों के स्थान पर 'representing a Province or, as the case may be, a State' ये शब्द रख दिये जायें।"

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'representing a State' इन शब्दों के स्थान पर 'representing a Province or a State' ये शब्द रख दिये जायें।"

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'Legislative Assembly of that State' इन शब्दों के स्थान पर 'Legislative Assembly of that Province or of the corresponding State or of that State, as the case may be' ये शब्द रख दिये जायें।"

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 388, संशोधन संख्या 611 और 621।

(संशोधन संख्या 611 पेश नहीं किया गया।)

***श्री एच.वी. कामत** (मध्य प्रदेश तथा बरारः जनरल): श्रीमान, मैं संशोधन सं. 621, 622 तथा 623 को पेश करना चाहता हूं।

***अध्यक्षः** हां।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 568 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परन्तुक में 'Part A of' इन शब्दों तथा वर्ण को हटा दिया जाये।"

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'Part A of' इन शब्दों तथा वर्ण को हटा दिया जाये।"

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के दूसरे परन्तुक में, 'the Legislative Assemble of that State' इन शब्दों

[श्री एच.वी. कामत]

के स्थान पर, 'the Legislative Assembly of that Province or of the corresponding State or of that State wherever such Assembly has been constituted' ये शब्द रखे जायें।"

श्रीमान, ये संशोधन अनुच्छेद 388 के खंड (1) के परन्तुक से पैदा होते हैं। यह परन्तुक उन स्थानों की रिक्तियों को भरने के विषय में हैं जो अनुसूचित जाति, मुस्लिम या सिख सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा सभा को छोड़ने पर पैदा होंगी।

मुझे तो यह कठिनाई दिखाई देती है। केबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के निर्वाचन निर्वाचन-मंडलों के द्वारा होने थे, जिसमें प्रांतीय विधान-मंडलों के सदस्य हैं और अलग मतदाता भी थे जैसे जनरल, सिख और मुस्लिम सम्प्रदाय थे। यह बात मेरी समझ में आ सकती थी यदि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के इस परन्तुक में जो निर्देश हैं वह केबिनेट मिशन योजना में उल्लिखित जनरल, सिख तथा मुस्लिम सम्प्रदायों के लिये होता, जिस योजना के अंतर्गत यह सभा चुनी गई थी। किन्तु श्रीमान, इस परन्तुक में अनुसूचित जातियों, मुस्लिमों तथा सिखों का उल्लेख है, परन्तु जनरल सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं है। अनुसूचित जातियों को यहां रख दिया गया है।

अतएव मैं अनुभव करता हूं कि हमने, कुछ हद तक, इस विषय में 1946 के केबिनेट मिशन की योजना को छोड़ दिया है जिसके अधीन यह सभा बनाई गई थी। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि केवल प्रथम अनुसूची के भाग-क में उल्लिखित राज्यों का ही यहां उल्लेख क्यों किया जाये। यदि आप प्रथम अनुसूची को देखें तो आपको पता लगेगा कि उसमें तीन भाग हैं—भाग-क, भाग-ख और भाग-ग। भाग-ग के तीन एककों—अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग तथा दिल्ली—की तो 1946 की केबिनेट मिशन योजना में भी चर्चा थी। अतएव प्रथम अनुसूची के भाग-क के राज्यों में जो बात लागू थी वह भाग 'क' के कम से कम इन तीन राज्यों पर तो लागू होनी ही चाहिये। किन्तु अब भाषा को बदल कर जनरल के स्थान पर अनुसूचित जातियां कर दिया गया है, अतः मेरे विचार में यह अनुच्छेद 388 प्रथम अनुसूची के सब राज्यों पर लागू कर देना चाहिये, चाहे वे भाग 'क' के राज्य हों, चाहे भाग 'ख' के राज्य हों, चाहे भाग 'ग' के राज्य हों। इसी उद्देश्य से मैंने पहले दो संशोधन भेजे हैं (सं. 621 तथा 622), अर्थात् अनुसूचित जातियों, सिख या मुस्लिम जाति के सदस्य द्वारा सभा त्याग करने पर जो भी स्थान रिक्त हो उसे यथासाध्य उसी जाति के सदस्य द्वारा भरा जाना चाहिये। यह प्रथम अनुसूची के भाग-क के राज्यों तक ही सीमित नहीं होना चाहिये, क्योंकि भाग ख में उल्लिखित कई राज्यों में विधान-मंडल हैं, मैसूर में विधान-मंडल है, त्रावनकोर-कोचीन में भी विधान मंडल है: और मध्य भारत में भी, मुझे विश्वास है कि एक

विधान-मंडल है। इसलिये भाग-क के राज्यों पर जो उपबन्ध लागू हैं वे इन राज्यों पर भी लागू होने चाहियें।

मेरे अंतिम संशोधन सं. 623 का भी उसी वस्तुस्थिति से संबंध है जिसका मैंने अभी अभी हवाला दिया है। मसौदा समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन में लिखा है कि 'the Legislative Assembly of that State' इन शब्दों के स्थान पर 'Legislative Assembly of that Province or the corresponding State or of that State as the case may be' ये शब्द रखे जायें। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मसौदा समिति इस अनुच्छेद को प्रथम अनुसूची के भाग क के राज्यों पर ही लागू करना चाहती है। किन्तु मेरा संशोधन इससे भी आगे बढ़ जाता है। वह उसे अधिक व्यापक बना देता है; उससे वह प्रथम अनुसूची के समस्त राज्यों पर लागू हो जाता है, चाहे वे भाग 'क' के राज्य हों, चाहे भाग 'ख' या 'ग' के। हम सबको ज्ञात है कि कुछ राज्यों में कोई विधान-मंडल है ही नहीं। मेरा संशोधन यह है कि यह अनुच्छेद उन समस्त राज्यों पर लागू किया जाये जहां कोई सभा या विधान-मंडल है चाहे वह राज्य प्रथम अनुसूची के भाग क में हो, या ख अथवा ग में हो, और केवल प्रथम अनुसूची के भाग क के ही राज्यों पर लागू नहीं किया जाये।

श्रीमान, मैं संशोधन सं. 621, 622 तथा 623 को पेश करता हूं तथा सदन से उन पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 394 पर मसौदा समिति का एक संशोधन (सं. 574) है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

"कि अनुच्छेद 394 में, '60' इस संख्या के पश्चात् '324' यह संख्या प्रविष्ट की जाये, और '388' इस संख्या के पश्चात् '391' यह संख्या प्रविष्ट की जाये।"

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रांतः जनरल): क्यों मैं आपकी अनुमति से संशोधन संख्या 572 के विषय में कुछ कह सकता हूं? क्या मैं मसौदा समिति का ध्यान इस ओर आकृष्ट करके उससे यह पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने 366 को भी अनुच्छेद 392 के उपखण्ड (3) में रखना अपेक्षित नहीं समझा है, क्योंकि अनुच्छेद 366 भी इस संविधान के पारित करने के बाद एकदम लागू हो जायेगा। अनुच्छेद 366 परिभाषाओं के विषय में है किन्तु उसी अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति से भी कई कृत्य करने की आशा की जाती है और इसलिये गवर्नर-जनरल को अनुमति होनी चाहिये कि वह 26 जनवरी को इस संविधान के आरंभ से ये कृत्य कर सके।

***अध्यक्षः** किन्तु अनुच्छेद 366 परिभाषाओं के विषय में है।

***श्री जसपतराय कपूरः** अनुच्छेद 392 के प्रस्थापित खंड के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 324 द्वारा, अनुच्छेद 367 के खंड (3) द्वारा और अनुच्छेद 391 द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं वे इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व भारत अधिराज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी। मेरा तो यह निवेदन है कि शायद यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 366 के अधीन जो शक्तियां प्रयोक्तव्य हैं उनके प्रयोग करने का अधिकार गवर्नर-जनरल को भी अनुच्छेद 392 के खंड (3) के अधीन दे दिया जाये।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 366 के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं होना है—उसमें केवल परिभाषाएं हैं।

***श्री जसपत राय कपूरः** श्रीमान, उसमें शक्तियां भी हैं। क्या मैं आपको उसके खंड(12), (21), (22) तथा (30) का हवाला दे सकता हूं? ये विविध खंड हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति से कुछ कृत्यों के करने की आशा की जाती है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 394 के अधीन, अनुच्छेद 366 इस संविधान के पारित होते ही लागू हो जायेगा। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इस अनुच्छेद विशेष के विषय में गवर्नर-जनरल को राष्ट्रपति की शक्तियां दी जायें, क्योंकि, जैसा श्रीमान ने स्वयं कहा है, ऐसा कोई कृत्य नहीं है जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर-जनरल को करना पड़े। इस अनुच्छेद के खंड (12) का जो विशेष हवाला दिया गया है वह अब लागू नहीं होता क्योंकि खंड (12) को निर्वचन-खंड से हटाकर अलग रख दिया गया है। जहां तक खंड (21), (22) और (30) का सम्बंध है वे ऐसी शक्तियां हैं जो गवर्नर-जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य नहीं होंगी और उसे अंतरिम काल में उनका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा बाद में नया संविधान लागू हो जाने पर राष्ट्रपति शक्ति ग्रहण कर लेगा। मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र के सुझाव में कोई तथ्य है यद्यपि इस ओर ध्यान आकर्षित करने पर मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** श्रीमान, संशोधन सं. 572 में अनुच्छेद 324 शामिल है किन्तु वह अनुच्छेद 394 द्वारा लागू नहीं होता। अतः इसमें यह त्रुटि है।

***अध्यक्षः** संशोधन सं. 574 है जिसमें वह बात आ जाती है जिसे आपने उठाया है।

फिर, प्रथम अनुसूची के संशोधन।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

"कि प्रथम अनुसूची के भाग क में, 'Territories of States' इस उप-शीर्षक के अंतर्गत 'The territory of the State of Bombay...' इन शब्दों से आरंभ

होने वाली तथा 'Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947' इन शब्दों पर समाप्त होने वाली कंडिका को हटा दिया जाये।"

***अध्यक्षः** इनमें से एक संशोधन पर श्री सिधवा का संशोधन सं. 613 है।

***श्री आर.के. सिधवाः** मेरा संशोधन यह है:

"कि संशोधन सं. 575 को हटा दिया जाये।"

जैसा कि हम प्रथम अनुसूची में देखते हैं वहां राज्यों के राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख है। पहले खंड में आसाम के राज्य का निर्देश है, उसे रहने दिया गया है। बंगाल के राज्य को रहने दिया गया है। किन्तु तीसरे खंड को, जिसमें बंबई के राज्य का निदेश है, हटया जा रहा है। अन्य राज्यों के विषय में भी उपबंध किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि बंबई को विशेषतः हटाने के लिये इस संशोधन में क्यों लिखा गया है। उसके स्थान पर कुछ नहीं लिखा जा रहा है, और मुझे आश्चर्य है कि बंबई राज्य का उल्लेख न करने का क्या कारण है। अतः मैंने सोचा कि इसे नहीं हटाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हो और उसके स्थान पर कुछ रखने का उपबन्ध न किया जाये। मैं अपना संशोधन पेश कर चुका हूं किन्तु मैं मसौदा समिति से यह जानना चाहता हूं कि इस खंड को हटाने में उनका उद्देश्य क्या है। मैं इस पर तब तक टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक मैं यह न जान सकूं कि इसे हटाने का उद्देश्य क्या है। मैं तो यही कह सकता हूं कि इसे रहने देना चाहिये।

***श्री के.एम. मुन्शी** (बंबईः जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री सिधवा ने संशोधन सं. 575 का निदेश किया है। इसे हटाने का कारण यह है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही है, क्योंकि भारत सरकार ने समुचित आदेश पारित कर दिये हैं जिससे कि सिरोही के भाग इस अनुसूची के अनुवर्ती भाग के अंतर्गत आ जायेंगे। यह पृष्ठ 182 के ऊपर की चार पंक्तियों में आ जायेगा:

"The territory of each of the other States in this Part shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the corresponding Province and the territories which, by virtue of an order made under section 290A of the Government of India Act, 1935, were immediately before such commencement being administered as if they formed part of that Province."

[श्री के.एम. मुन्शी]

[इस भाग के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के आरंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासन-अधिनियम 1935 की धारा 290 (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रांत के भाग रहे हों।]

सिरोही का एक भाग अनुसूची के इस भाग के अंतर्गत आयेगा तथा दूसरा भाग पृष्ठ 183 की अंतिम कंडिका के अंतर्गत आयेगा। अतएव इस कंडिका की अंतिम पंक्तियों को रखना आवश्यक नहीं रहा है।

***श्री जयनारायण व्यास** (संयुक्त राज्य: राजस्थान): श्रीमान, एक सूचना चाहता हूं। श्रीमान, क्या सिरोही के नरेश ने या किसी ने कोई संधि पर हस्ताक्षर किये हैं कि सिरोही के दो भाग करके एक भाग को बंबई में और दूसरे को राजस्थान में मिला दिया जाये?

***श्री के.एम. मुन्शी:** मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न यहां उपयुक्त है। मैं तो केवल सांविधानिक स्थिति को समझा रहा हूं कि हमने इसे क्यों हटा दिया है। क्या किया गया है यह प्रश्न तो समुचित क्षेत्रों से पूछा जाना चाहिये।

***श्री जयनारायण व्यास:** सांविधानिक रूप में सिरोही को दो भागों में बांटना उचित नहीं है, जब तक कि जनता ऐसा न चाहे। मुझे इस पर आपत्ति है।

***श्री के.एम. मुन्शी:** जैसाकि मैंने कहा है यह भारत सरकार की नीति का प्रश्न है, और माननीय सदस्य को समुचित प्राधिकार के लिये माननीय उपप्रधान मंत्री से पूछना चाहिये। यहां इसका स्पष्टीकरण करना मेरा काम नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मेरे मित्र श्री मुंशी ने संविधान के पृष्ठ 181 तथा 182 का उद्धरण दिया है। किन्तु उन्होंने जो कुछ कहा है वह अतीव स्पष्ट नहीं है और मैं उनकी बात को समझ नहीं सका।

***अध्यक्ष:** अब राज्य इस कंडिका में उल्लिखित दो श्रेणियों में से एक या दूसरी में आता है। राज्य का एक भाग प्रथम श्रेणी में आता है और दूसरा भाग दूसरी श्रेणी में आता है।

***श्री आर.के. सिधवा:** आसाम तथा बंगाल के नये प्रदेशों का उल्लेख है किन्तु पंजाब भी नया प्रदेश है, जो विभाजन द्वारा उत्पन्न हुआ है और वह रखा जाना चाहिये। अन्यथा केवल अंतिम खंड रहना चाहिये।

***अध्यक्ष:** श्री सिधवा ने जो प्रश्न उठाया है वह यह है कि बंगाल का उल्लेख क्यों किया गया है जब कि पंजाब का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों

ही विभाजन के कारण ही बने हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब में आजकल कुछ राज्यों के अंश समाविष्ट हैं और इसलिये वह इस अंतिम कंडिका के अधीन आयेगा जब कि बंगाल के विषय में यह बात है कि बंगाल में कोई राज्य नहीं मिलाया गया है और इसलिये बंगाल का विशेष उल्लेख किया गया है।

***श्री जयनारायण व्यास:** श्रीमान, मैं समझता हूं कि सिरोही के विषय में कुछ आदेश पारित किये गये हैं। चाहे वे आदेश कुछ भी हों, मैं उनके विषय में चिन्ता नहीं करता। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुसूची 1 में तीन भाग हैं। भाग 1 में वे क्षेत्र शामिल है जो प्रांत कहलाते हैं, भाग 2 में वे क्षेत्र शामिल हैं जो केन्द्र द्वारा शासित हैं तथा भाग 3 में वे क्षेत्र शामिल हैं जो अब राज्यों के संघ हैं। मैं सिरोही के नाम को इन तीनों भागों में नहीं पाता। अब यह कहने मात्र से कि परदे के पीछे ऐसी ऐसी बात हो गई है इस प्रश्न का हल नहीं होता। सिरोही में आज किसी का शासन नहीं है। हमारे समक्ष जो संविधान पेश किया गया है उसके अनुसार सिरोही भारत में है ही नहीं। वह भाग 1, या 2 या 3 किसी में नहीं है। यदि आप 'Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947' इन शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों को रखते तो सिरोही बम्बई में शामिल हो जाता। किन्तु इन शब्दों को हटाकर आपने सिरोही को बम्बई से निकाल दिया है, किन्तु उसे आपने भाग 1, या 2 या 3 में नहीं रखा है। इस प्रकार संविधान में एक भूल रह गई है, और मुझे आशा है कि श्री मुन्शी या मसौदा समिति के कुछ सदस्य कृपया इस बात को स्पष्ट करेंगे, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं।

***अध्यक्ष:** जहां तक मैं समझता हूं, सिरोही का कहीं उल्लेख नहीं है और कई अन्य राज्य भी हैं जिनका कहीं उल्लेख नहीं है, क्योंकि वे किसी न किसी प्रांत में मिला दिये गये हैं। वे राज्य जो प्रांतों में मिला दिये गये हैं अब उन प्रांतों के अंग बन गये हैं। वे राज्य जो कहीं नहीं मिलाये गये हैं भाग ख में अलग दिखाये गये हैं। सिरोही का एक भाग बम्बई में मिला दिया गया है और कुछ भाग अन्य प्रांत में मिलाया गया है और अब इसका कहीं उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। अतएव अब तीसरी कंडिका का अन्तिम भाग लागू नहीं होता। अब उस पर 'प्रांतातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम' लागू नहीं है। मैं तो समझता हूं कि स्थिति ऐसी ही है।

***श्री जयनारायण व्यास:** आप जो कुछ कहते हैं वह मैं समझता हूं, श्रीमान, किन्तु मैं इस स्थिति से अधिक संतुष्ट नहीं हूं।

***अध्यक्ष:** वह अलग बात है।

***श्री जयनारायण व्यास:** अब श्रीमान, सिरोही का विभाजन कर दिया है। इस समय राजस्थान में सिरोही समाविष्ट नहीं है। मुझे यह पता है। जनता की इच्छा के बिना सिरोही का विभाजन करना सिरोही और राजस्थान के लोगों के साथ तथा

[श्री जयनारायण व्यास]

स्वयं न्याय के साथ ही अन्याय करना है। मैं सरकार के कार्य का, जो परदे के पीछे किया गया है, नरम या प्रबल विरोध करता हूं, कि वह ऐसे समय संविधान में हस्तक्षेप कर रही है जब कि भारत का संविधान बन रहा है और सिरोही का नरेश कुछ कह नहीं सकता है और जब कि सिरोही के लोग बम्बई में मिलाये जाने का विरोध कर चुके हैं। यदि श्री गोकुल भाई जो बम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो एक बार सिरोही का प्रतिनिधित्व करते थे, वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

***कंवर जसवन्त सिंह** (संयुक्त राज्य: राजस्थान): श्रीमान, सिरोही के सम्बन्ध में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है, जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है। अन्य भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उनके नरेश संधि-पत्र द्वारा अपने राज्यों को प्रान्तों में या राज्य-संघों में मिलाने के लिये सहमत हो गये हैं; जहां तक सिरोही का सम्बन्ध है, उसका नरेश बालक है और इसलिये उस राज्य से ऐसी संधि नहीं हुई है और इसलिये उसका विभाजन नहीं किया जा सकता और उसे किसी राज्य-संघ या प्रांत में मिलाया नहीं जा सकता। अत: इस प्रकार सिरोही राज्य को समुचित प्रक्रिया या संधि के बिना विभाजित करना अत्यन्त अनियमित है और राजस्थान के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है।

***श्री गोकुलभाई भट्ट** (बम्बई स्टेट्स): सभापति जी, सिरोही का यह मसला कुछ तकलीफ ही दे रहा है और मैं सिरोही के मामले में जो कुछ जानता हूं वह यह है कि करीब एक साल के पहले सिरोही की राजमाता ने, रिजन्सी काउन्सिल की प्रेसिडेन्ट ने सिरोही को सौंप दिया था और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट जैसे उसका कारोबार ठीक समझे, वैसे चलाये। ऐसा भी राजमाता ने यहां लिखकर दे दिया था। उसके बाद सिरोही का कारोबार सैन्टर की ओर से बम्बई सरकार चला रही है। अब सवाल यह आया है कि सिरोही का क्या होने वाला है। और मैं नहीं था, तब शायद यह खुलासा किया गया है कि सिरोही का कुछ हिस्सा बम्बई में जायेगा और बहुत-सा हिस्सा राजस्थान में रहेगा। यह पक्का मालूम नहीं है कि कौन-सा कौन-सा हिस्सा कहां जायेगा तथा माउन्ट आबू का क्या होगा, कोई पक्की बात मेरी जानकारी में नहीं है। कोई पक्की आखिरी बात नहीं हुई है। पर मेरी जानकारी है और मैं मानता हूं कि जो उचित होगा वह हमारे सरदार साहिब और दूसरे बैठकर करेंगे।

***अध्यक्ष:** जो बात गोकुलभाई कह रहे हैं मुन्शी जी ने अभी कहा है कि आर्डर नोटीफिकेशन हो चुका है और जब तक कोई दूसरा नोटीफिकेशन न हो, तब तक यह जिस रूप में आया है, वैसे ही रहना चाहिये। जब और नोटीफिकेशन होगा तभी हट सकता है।

***श्री गोकुलभाई भट्ट:** एक बात साफ है। पिछली मर्तबा सोच रहे थे कि पूरे का पूरा हिस्सा बम्बई में जाना था इस प्रकार का एक सन्देह था। अब पूरा

सिरोही बम्बई में नहीं जा रहा है, कुछ हिस्सा जा रहा है, लेकिन बहुतेरा हिस्सा राजस्थान में रहता है यह बात भी साफ हो जाती है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इससे मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह ऐसा विषय है जिसमें हमने सिरोही के भाइयों ने कुछ ऐसा भी सोचा है कि आखिर हमारी और राजस्थान की बात ध्यान में रख कर सरदार साहिब जो करेंगे, वह हमें मंजूर होगा।

***श्री राज बहादुरः** (संयुक्त राज्य मत्स्य): क्या मैं कुछ शब्द कह सकता हूं, श्रीमान।

***अध्यक्षः** किन्तु माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि हमें साढ़े ग्यारह बजे तक चर्चा समाप्त करनी है।

***श्री राज बहादुरः** श्रीमान, मैं इस विषय पर, जो बहुत समय से राजस्थान के लोगों के मन में उठता रहा है, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब से सिरोही को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में बम्बई के प्रशासन के अधीन रखा गया है तभी से राजपूताना की प्रांतीय कांगेस समितियां तथा वहां की अन्य कांग्रेस समितियां ये प्रस्ताव पारित करती रही हैं कि इसे राजस्थान से नहीं छीनना चाहिये और राजस्थान सरकार के प्रशासन के अधीन रखना चाहिये। कल यह खबर थी कि सिरोही का विभाजन कर दिया गया है और उसका एक भाग राजस्थान को तथा दूसरा बम्बई को दे दिया गया है। वास्तव में इस मामले में जनता की इच्छा यह रही है कि माउन्ट आबू के पहाड़ी नगर को उनसे नहीं छीनना चाहिये। माउन्ट आबू उस क्षेत्र में एकमात्र पहाड़ी नगर है और अत्यन्त रमणीक स्थान है, जो वहां के सब लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र है। राजस्थान की जनता के लिये यही एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है और आरोग्य स्थान है जहां वे जा सकते हैं। इस मामले में माउंट आबू ही ऐसा स्थान है जिस पर दोनों में झगड़ा है। अतएव राजस्थान में रहने वालों को इस पर दुःख तथा आश्चर्य है कि उनसे वह स्थान छीन लिया गया है। किन्तु अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि माउंट आबू राजस्थान में रहेगा या बम्बई में जायेगा। यह अधिक अच्छा होता कि यदि सिरोही के किसी भाग को अलग करना था तो इस सदन के लोगों को समय पर बता देना चाहिये था और जनता को यह मालूम हो जाना चाहिये कि कौन-सा भाग राजस्थान को मिलेगा तथा कौन-सा भाग बम्बई को मिलेगा। इस समय सब कुछ अंधकार में ही है। हम सब इस विषय में अंधकार में हैं और यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि लोगों को बताए बिना और स्थानीय कांग्रेस समिति से पूछे बिना ही यह विभाजन कर दिया गया है। यह दावा किया जाता है कि यह संविधान भारत के तथा उसके अंगों के लोगों की स्वतंत्र इच्छा तथा मर्जी से बना है। मैं नहीं समझता कि यह बात इस सिद्धान्त के अनुरूप होगी यदि सिरोही को, जनता की इच्छाओं का पता लगाये बिना ही विभक्त कर दिया जाये। हमारे मन में हमारे नेता सरदार वल्लभभाई पटेल के लिये बहुत सम्मान है। मैं

[श्री राज बहादुर]

उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस मामले में वे कृपया हमारी भावनाओं का ख्याल रखें। यदि कोई आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि इस संविधान को अन्तिम रूप देने से पहले उन पर पुनर्विचार किया जाये तथा उन्हें बदल दिया जाये। सिरोही राज्य माउंट आबू सहित उसी प्रान्त को मिलना चाहिये जिसका उस पर न्याय से अधिकार है, और उन लोगों को मिलना चाहिये जिन्होंने उसे आज की स्थिति को प्राप्त कराया है।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि कोई और चर्चा आवश्यक है। मैं श्री मुन्शी से कहूंगा कि वे सदन को बतायें कि सिरोही को किस अधिसूचना के अधीन विभक्त किया गया है जिससे कि सदस्यों का भ्रम मिट सके।

***श्री के.एम. मुन्शीः** ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है।

***अध्यक्षः** यदि कोई ऐसी अधिसूचना नहीं है तो आप संविधान में उसे मान्यता कैसे दे सकते हैं? मैं तो आपकी बात से यह समझा था कि अधिसूचना है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल** (बम्बईः जनरल): श्री मुन्शी इसे स्पष्ट नहीं कर पायेंगे। मैं इसे समझता हूं।

राजस्थान के कुछ लोग, जो यहां कांग्रेस की ओर से आये हैं, इस माउंट आबू को सुन्दर स्थल समझते हैं और इस लिये वह कहते हैं कि राजस्थान का उस पर दावा है। भारत में कई सुन्दर स्थल हैं और माउंट आबू को मांगने के लिये वह औचित्य नहीं है। राजस्थान कांग्रेस समिति को आरंभ से ही बता दिया गया था कि सिरोही गुजरात का भाग है और बम्बई को मिलेगा। कांग्रेस समिति ने मंत्रालय से यह झगड़ा आरंभ किया और यह शोर मचाया। उससे पूर्व, जब कि कांग्रेस का वार्षिक सत्र राजस्थान में हुआ था, श्री गोकुल भाई भट्ट, जो सिरोही के मुख्य मंत्री थे, राजस्थान कांग्रेस समिति के भी प्रधान थे। श्री गोकुल भाई भी गुजरात के ही हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह गोकुल भाई को चाहते हैं क्योंकि वे राजस्थान कांग्रेस समिति के प्रधान हैं या वे सिरोही को चाहते हैं। वास्तव में वे तो यह चाहते थे कि गोकुल भाई जो स्वागत समिति के अध्यक्ष चुने गये थे, राजस्थान कांग्रेस समिति के भी प्रधान रहें। उनके लिये उन्हें वहां रखना कठिन था जब तक कि सिरोही राजस्थान में न रहे, पर हमारा विनिश्चय यह था कि सिरोही बम्बई में मिलना चाहिये। किन्तु उनकी बात को रखने के लिए हमने कहा कि हम अभी तो सिरोही को केन्द्र के अधीन रख देंगे परन्तु उस पर बम्बई सरकार प्रशासन करेगी। इस प्रकार वह अंत में बम्बई में चला गया। राजस्थान के एक दो भागों में अब भी ऐसे लोग हैं जो बम्बई में मिलना चाहते हैं जैसे डूंगरपुर आदि। वे गुजराती लोग हैं। जब कांग्रेस संघ के समाप्त होने पर यह निश्चय किया गया तब कांग्रेस का वहां के मंडल से संघर्ष हो गया और उसके फलस्वरूप राज्य मंत्रालय से भी संघर्ष हुआ। यहां कांग्रेस की ओर से जो राजस्थान के प्रतिनिधि

आये हैं उन्होंने यह शोर मचाना आरम्भ कर दिया है कि सिरोही राजस्थान में मिलना चाहिये। उन्होंने श्री गोकुल भाई भट्ट को कांग्रेस की प्रधानता से हटा दिया है और मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है।

***श्री जयनारायण व्यास:** सिरोही को राजस्थान में रखने के लिये जितने प्रस्ताव श्री गोकुल भाई भट्ट की प्रधानता में पारित हुए थे उतने बाद में भी नहीं हुए हैं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल:** मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई बाधा डाले। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि स्थिति क्या है।

इस लिये अन्त में उनकी बात रखने के लिये हमने पड़ताल करने के लिए एक विशेष पदाधिकारी भेजा था। उसका प्रतिवेदन यह था कि सिरोही का एक भाग विशेष बम्बई में मिलना चाहिये क्योंकि वहां के अधिकांश लोगों ने उसके लिये मांग की है। सिरोही के लोगों में स्वयं मतभेद है, सिवाय उस भाग के जिसे अलग किया जाना है।

अब यदि राजस्थान के लोग चाहते हैं कि सिरोही का एक भाग जिसमें नगर भी शामिल हो उन्हें मिल जाना चाहिये तो हम उनकी बात रखने के लिए तैयार हैं। किन्तु यदि वह चाहते हैं कि सारा सिरोही उन्हें मिले तो उनकी बात मानना असंभव है।

फिर प्रश्न यह है कि वह विभाजन चाहते हैं या नहीं। यदि वे विभाजन नहीं चाहते तो समस्त सिरोही बम्बई प्रदेश को मिलेगा। यदि वे विभाजन चाहते हैं तो उसका एक भाग बम्बई प्रान्त को मिलेगा। एक मानचित्र तैयार कर लिया गया है और संविधान के लागू होने से पूर्व ही आदेश पारित कर दिये जायेंगे। मानचित्र उन्हें दिखाया जा सकता है; वे अब भी आकर कार्यालय में देख सकते हैं। जो सज्जन अभी बोले थे वह सिरोही के नहीं हैं। वे भरतपुर के हैं। वे कहते हैं कि आबू सुखदायक स्थल है। भरतपुर भी समान रूप से सुखदायक स्थान है। अतएव कोई और उसकी मांग नहीं कर सकता। हो सकता है कि उन्हें यह बात पसंद न हो पर तथ्य यह है कि आदेश पहले ही पारित किये जा चुके हैं। उन्हें अभी तक इस लिये रोक लिया गया है क्योंकि इन लोगों का निश्चय ऐसा है। हम अब भी उनकी बात को रखना चाहते हैं, यदि वे युक्तिपूर्ण बात पर सहमत हो जायें। यदि वे नहीं मानते हैं तो सिरोही चला जायेगा, किन्तु जो भी आदेश पारित करने हैं वे संविधान के लागू होने से पूर्व पारित कर दिये जायेंगे। किन्तु सिरोही अलग एकक के रूप में नहीं रहेगा। या तो वह सारा ही बम्बई में चला जायेगा या एक भाग राजस्थान को मिलेगा और एक भाग बम्बई को मिलेगा। यही स्थिति है। यदि सिरोही का विभाजन करना है तो उसका विभाजन उनकी सहमति से किया जायेगा। फिर वह दो भागों में विभाजित हो जायेगा। यदि वे विभाजन नहीं चाहते तो सारा ही बम्बई में चला जायेगा।

***अध्यक्षः** मुझे इस समय इस प्रश्न के गुणावगुण से कोई मतलब नहीं है, सरदार, कि सिरोही.....

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** किन्तु गुणावगुण पर ही चर्चा हो रही थी।

***अध्यक्षः** किन्तु आदेश के साथ।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** किन्तु विभाजन के आदेश तो पहले ही हैं।

***अध्यक्षः** मुझे गुणावगुण से कोई मतलब नहीं है किन्तु मुझे केवल आदेशों से मतलब है। आदेश पारित कर दिये गये हैं, जिससे कि अब जो संशोधन प्रस्थापित है वह उस वस्तुस्थिति का प्रतिनिधि है जिसे राज्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** हां।

***अध्यक्षः** यदि यह बात है तो संशोधन आ सकता है, परन्तु यदि वह भविष्य में लागू होना है तो संशोधन नहीं आ सकता।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** आदेश तो हैं किन्तु यदि वे चाहें तो संविधान के लागू होने से पूर्व उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

***अध्यक्षः** उस हालत में हम उसे संशोधन के रूप में नहीं ले सकते। यदि हम आदेश को अन्तिम आदेश मान लें, तो यह इसी रूप में पेश हो सकता है जिस रूप में हुआ है। अन्यथा, यदि आदेश नहीं है, तो हम इसे नहीं ले सकते। अतः मैं आपकी बात का मतलब यह समझता हूं कि आदेश पहले ही पारित हो चुके हैं.....

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** हां।

***अध्यक्षः** और सिरोही दो भागों में विभाजित किया जा चुका है, एक भाग बम्बई में चला गया है तथा दूसरा राजस्थान में।

***माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेलः** इन लोगों की बात रखने के ही लिये वह प्रकाशित नहीं किया गया है। आदेश तो है।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): हमारे माननीय मित्र सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो युक्तियां पेश की हैं वे मेरे विनम्र मतानुसार अधिक वजन वाली नहीं हैं। सिरोही.....

***अध्यक्षः** वह अलग बात है। मुझे भय है कि यहां हमें इस प्रश्न के गुणावगुण से कोई मतलब नहीं है।

***श्री महावीर त्यागीः** क्या मैं जान सकता हूं कि सिरोही की जनता क्या भाषा बोलती है?

***अध्यक्षः** यह मुझे पता नहीं है किन्तु कई राज्य हैं जो किसी न किसी प्रान्त में मिला दिये गये हैं और उन मामलों में हमने विलय के तथ्य को स्वीकार करके

उसे संविधान में शामिल कर दिया है। यदि सिरोही की स्थिति भी अन्य राज्यों के समान ही हो, जैसे कि सिरोही का किसी राज्य में विलय कर दिया गया है तो हम इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे सरदार पटेल से पता लगा है कि सिरोही को दो भागों में विभक्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है, एक बम्बई में चला गया है तथा दूसरा राजस्थान में। तो हम संशोधन को स्वीकार करते हैं। अन्यथा नहीं। हमें इस सदन में इस प्रश्न के गुणावगुण से कोई मतलब नहीं है कि यह ठीक हुआ है या गलत हुआ है।

***कंवर जसवंत सिंहः** उप-प्रधान मंत्री ने केवल यही कहा है कि आदेश फाइल पर हैं। जब तक आदेश जारी नहीं कर दिये जाते हैं तब तक वे लागू नहीं हो सकते। अतएव मेरे मतानुसार इस प्रश्न को इस समय संविधान सभा में नहीं लिया जा सकता। सिरोही के प्रश्न को भविष्य में किसी तारीख तक के लिये स्थगित करना होगा, जब तक कि राजस्थान की जनता की इच्छा को जान लेना चाहिये।

***अध्यक्षः** वे पारित कर दिये गये हैं, मुझे सरदार पटेल से यही पता लगा है।

फिर हम अन्य संशोधनों को लेते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में, 'Territories of States' इस उप-शीर्षक के अंतर्गत कण्डिका के स्थान पर निम्न कण्डिका जोड़ दी जाये:—

'The territory of each of the States in this Part shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the corresponding Indian State, and—

(a) in the case of each of the States of Rajasthan and Saurashtra, shall also comprise the territories which immediately before such commencement were being administered by the Government of the corresponding State, whether under the provisions of the Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947, or otherwise; and

(b) in the case of the State of Madhya Bharat, shall also comprise the territory which immediately before such commencement was comprised in the Chief Commissioner's Province of Panth Piploda.' "

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

[इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था तथा—

(क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रांतातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम 1947 के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले प्रशासित थे; तथा

(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्यक्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो ऐसे आरम्भ से ठीक पहले पन्थ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था।]

"कि प्रथम अनुसूची के भाग ग में, 'Territories of States' इस उप-शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम दो कंडिकाओं के स्थान पर निम्न कंडिका रख दी जाये:—

'The territory of each of the States of Ajmer, Coorg and Delhi shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Ajmer-Merwara, Coorg and Delhi, respectively.'"

[अजमेर, कोड़गु और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान में प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः अजमेर-मेरवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य-आयुक्तों के प्रान्त में समाविष्ट था।]

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 में, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रखी जाये:—

'8. "Central Bureau of Intelligence and Investigation.' "

[8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग।]

***अध्यक्ष:** संशोधन सं. 542। मैं नहीं समझता कि मैं उसे ले सकता हूं। यह बहुत देर में आया है।

षष्ठ अनुसूची

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि कंडिका 3 की उप-कंडिका (1) के खंड (छ) को हटा दिया जाये और शेष खंडों (ज), (झ) तथा (ङ) के वर्ण-नामों को बदलकर (छ), (ज) और (झ) ये वर्ग-नाम क्रमशः रख दिये जायें।"

"कि कंडिका 4 में निम्न उप-कंडिका जोड़ दी जाये:

'(4) The Regional Council or the District Council, as the case may be,

may with the previous approval of the Governor make rules regulating—

(a) The constitution of village councils and courts and the powers to be exercised by them under this paragraph;

(b) the procedure to be followed by village councils or courts in the trial of suits and cases under sub-paragraph (1) of this paragraph;

(c) the procedure to be followed by the District or Regional Council or courts constituted by such Council in appeals and other proceedings under sub-paragraph (2) of this paragraph;

(d) the enforcement of decisions and orders of such councils and courts;

(e) all other ancillary matters for the carrying out of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.' "

[(4) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से—

(क) ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन प्रयोक्तव्य उनकी शक्तियों के;

(ख) इस कंडिका की उप-कंडिका (1) के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(ग) इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के परिपालन के;

(ङ) इस कंडिका की उप-कंडिका (1) और (2) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने लिये अन्य सब सहायक विषयों के,

विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

"कि कंडिका 5 की उप-कंडिका (3) में, 'and the Governor may by rules prescribe the procedure to be followed at such trial' इन शब्दों के स्थान

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

पर 'to which the provisions of this paragraph or paragraph 4 apply' ये शब्द रख दिये जायें।"

कि कंडिका 20 की उप-कंडिका (2) के परन्तुक में, 'clauses (e) and (f) तथा (g)' इन शब्दों, कोष्ठकों तथा वर्णों के स्थान पर 'clauses (e) and (f)' ये शब्द, कोष्ठक तथा वर्ण रखे जायें।"

***अध्यक्षः** इससे सूची 6 समाप्त हो जाती है। फिर सूची 7 में तीन संशोधन हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

"कि अनुच्छेद 106 में 'Constituent Assembly of India' इन शब्दों के स्थान पर 'Constituent Assembly of the Dominion of India' ये शब्द रखे जायें।"

"कि अनुच्छेद 348 के खंड (1) में 'shall for the purposes of the said clause be deemed to be the authoritative text thereof' इन शब्दों के स्थान पर 'shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article' ये शब्द रखे जायें।"

***अध्यक्षः** मैं संशोधन *सं. 615 और 616 को पेश किया हुआ समझ लेता हूं। सं. 630 श्री चालिहा का है।

श्री कुलधर चालिहा (आसामः जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूंः—

"कि सूची 6 के संशोधन सं. 621 में, षष्ट अनुसूची की प्रस्थापित कंडिका (4) की प्रथम तीन पंक्तियों के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें:

(4) That the Governor shall make rules regulating—"

मेरा सारा उद्देश्य यह है कि आदिकालीन समाजों में, जिनके लिये ये अनुसूचियां तैयार की गई हैं, हमें प्रादेशिक तथा जिला परिषदों को नियम बनाने की शक्तियां देने में कुछ अधिक सावधान होना चाहिये। खासी पहाड़ियों जैसे कुछ स्थानों में हमारे यहां शिक्षित व्यक्ति हैं किन्तु नागा पहाड़ियों जैसे स्थानों में लोग साक्षर नहीं

---

*615 कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 75 में, 'Emoluments, allowances' इन शब्दों के पश्चात् 'privileges' शब्द रखा जाये।

616. कि सप्तम अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 46 में, 'other than the 'Supreme Court' इन शब्दों के स्थान पर 'except the Supreme Court' ये शब्द रखे जायें।"

हैं। इन क्षेत्रों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लिख पढ़ सकता हो। जब अंग्रेज यहां थे तब उनका शासन निरंकुश था। किसी न किसी प्रकार यहां से जाते समय वे इन लोगों के दिमाग में यह बात पैदा कर गये कि वे अन्यन्त लोकतंत्रात्मक लोग हैं, वे अपने नियम बना सकते हैं। उन्होंने जाते समय उन्हें ये उमदा विचार दे दिये, और हम जाल में फंस गये हैं, और हम समझते हैं कि वे अत्यन्त लोकतंत्रात्मक हैं, वे स्वायत्तशासी हैं, वे अपने नियम आदि बना सकते हैं, किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मसौदा समिति कहती है कि वे राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से नियम बनायेंगे। यह क्यों? राज्यपाल नियम क्यों नहीं बना सकता? ये लोग ऐसा करने के योग्य नहीं हैं। वे ऐसा करना जानते ही नहीं। अतएव मेरा सदा यही विचार रहा है कि षष्ट अनुसूची में राज्यपाल को अधिकाधिक शक्ति होनी चाहिये। हमने प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् को राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से नियम बनाने की शक्ति दी है। इसके स्थान पर राज्यपाल को नियम क्यों नहीं बनाने देते जिससे कि वहां के सीधे सादे व्यक्तियों के लिये राज्यपाल द्वारा निर्धारित बातों को समझना आसान हो जाये? नियमों को भेजने की बजाय, हम देखते हैं कि वे नियम बनायेंगे और राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम, राज्यपाल की स्थिति बहुत नाजुक होगी और एक बार नियम बन जाने के पश्चात् वह कुछ हद तक उन से बाध्य हो जायेगा, किन्तु यदि आप इसे राज्यपाल पर छोड़ दें तो उसके पास वैधानिक परामर्शदाता होंगे, राजनैतिक परामर्श होंगे, और वह उनके परामर्श से लाभ उठाकर अधिक अच्छे नियम बना सकेगा। मेरा विनम्र संशोधन केवल यही है कि राज्यपाल को नियम बनाने दिया जाये और आदिम लोगों द्वारा इन अत्यन्त कठिन तथा जटिल बातों के नियम बनाने की मुसीबत को हटा दिया जाये, और इसलिये मैं मसौदा समिति से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करके सारी चीज को सरल बना दे। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है, श्रीमान।

हम बहुत गलत पृष्ठभूमि से चल रहे हैं कि आदिम लोग अत्यन्त लोकतंत्रात्मक हैं किन्तु यदि हम प्राणीशास्त्र या सामाजिक शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हवाई तथा दक्षिण अमरीका के अतिरिक्त कहीं भी आदिम समाज में, संसार भर में कहीं भी आदिम जातियों में लोकतंत्र नहीं है, और इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें उन पर नियम बनाने का भार नहीं डालना चाहिये, हमें राज्यपाल को उनके लिये नियम बनाने का अधिकार देना चाहिये और मैं इस संशोधन को सदन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

***माननीय रेवरेण्ड जे.जे. एम. निकल्स राय** (आसाम: जनरल): श्रीमान, मैं मसौदा समिति के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं श्री चालिहा द्वारा प्रस्तावित संशोधन का विरोध करता हूं। मैंने श्री चालिहा के संशोधन को नहीं देखा है। क्या वह मुद्रित है?

***अध्यक्षः** संशोधन में यही लिखा है कि प्रादेशिक या जिला परिषद् के स्थान पर हम नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल को दे दें।

***माननीय रेवरेण्ड जे.जे.एम. निकल्स रायः** श्री चालिहा ने कहा है कि जो क्षेत्र जिला परिषदों द्वारा शासित होंगे उनमें ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं जो इस प्रशासन को चलायेंगे या नियम बनायेंगे। मेरे विचार में वे गलती पर हैं क्योंकि इन जिला परिषदों में केवल छः पहाड़ी जिले हैं। इन पहाड़ी जिलों की स्थिति अन्य आदिम जातीय क्षेत्रों से, जो जिला परिषद् से बाहर हैं, सर्वथा भिन्न है। इन जिला परिषदों को वे लोग चलायेंगे जो बुद्धिमान हैं। इन क्षेत्रों में काफी बुद्धिमान लोग हैं जो इन प्रशासनों को चलायेंगे तथा वे नियम भी बना सकेंगे। उत्तर कचर पहाड़ियां, तथा मिकिर पहाड़ियां जो अधिक उन्नत नहीं हैं जिला पदाधिकारियों के अधीक्षण में होंगी, जो जिला परिषदों के सभापति होंगे, किन्तु अन्य क्षेत्रों में हमें ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं जो प्रशासन चला लेंगे। अतः मैं श्री चालिहा के संशोधन का विरोध करता हूं तथा मसौदा समिति के संशोधनों का समर्थन करता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहारः जनरल): श्रीमान, मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं.....

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि हमें इस विषय में और अधिक वादविवाद करना चाहिये। दोनों दृष्टिकोण पेश किये जा चुके हैं और हमारे पास समय की बहुत कमी है। अब तीन संशोधन बच गये हैं जो पेश होने हैं या अन्यथा निबटाये जाने हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या 616 को निबटा दिया गया है, श्रीमान?

***अध्यक्षः** मैंने दोनों को पेश हुआ समझ लिया है। क्योंकि वे ही सब संशोधन हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरा उस पर एक संशोधन था। मैंने उसकी सूचना आज सवेरे भेजी थी। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, किन्तु केवल.....

***अध्यक्षः** आपका संशोधन कौन-सा है?

***श्री एच.वी. कामतः** मैंने उसे आज सवेरे दिया था, श्रीमान।

***अध्यक्षः** मैं उसे पेश किया हुआ समझ लूंगा। जैसाकि मैं कह रहा था तीन प्रकार के संशोधन हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार निबटाना होगा। एक प्रकार के संशोधन बंगाल के नाम के विषय में है। मैंने सूची 7 को भी लिया है और मैंने उन्हें पेश किया हुआ समझ लिया है।

***श्री एच.वी. कामतः** संशोधन 628 के निर्देश से, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मसौदा समिति को 'डोमीनियन' शब्द से इतना प्रेम क्यों हो गया है और वे उसे बार-बार क्यों दोहरा रहे हैं?

***अध्यक्षः** खैर, आप चाहें तो उन्हें रद्द कर सकते हैं। तीन संशोधन एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं जिनका आशय यह है कि बंगाल का नाम "पश्चिमी बंगाल" होना चाहिये। एक संशोधन तो यह है। फिर दूसरा संशोधन है, जिसका मैंने कल उल्लेख किया था, वह प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना का है और अनुच्छेद 348 खंड (3) के विषय में है। क्या आप उसे पेश करना चाहते हैं?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांतः जनरल): मैं पहले ही पेश कर चुका हूं।

***अध्यक्षः** मैं उसे पेश किया हुआ समझूंगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** वह 629 में आ जाता है श्रीमान।

***अध्यक्षः** आ जाता है। बहुत अच्छा है। फिर उसे पेश करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक संशोधन श्री ए.वी. ठक्कर का था। उसके विषय में मसौदा समिति की क्या स्थिति है?

***श्री पी.टी. चक्को** (त्रावणकोर तथा कोचीन का संयुक्त राज्य): यदि उस संशोधन को पेश करने दिया जाता है तो मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। यह हम लोगों के लिये आश्चर्य है जो उनमें उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तावक एक सारवान मामला पेश कर रहा है जो न आवश्यक है और न आनुषंगिक ही है.....

***अध्यक्षः** वे केवल मध्य भारत के विषय में पेश करना चाहते हैं अतः आप पर प्रभाव नहीं पड़ता।

***श्री पी.टी. चक्कोः** तो फिर मैं अपनी बात पर जोर नहीं देता।

***श्री ए.वी. ठक्कर** (सौराष्ट्र): जिस समय प्रांतों के नाम रखे जा रहे थे तब आदिम जातियां जिनको यह लाभ प्राप्त होगा कि उनके विभाग का भार-साधक विशेष मंत्री होगा, अर्थात् 1947 में उन राज्यों का काई जिक्र नहीं था। वे बाद में संघ में शामिल किये गये हैं; वे अनुसूची के विभिन्न भागों में मिला दिये गये हैं या लुप्त कर दिये गये हैं; और उन राज्यों में, जिनमें बहुत-सी आदिम जातियां थीं, ये चार संघ हैं—मध्य भारत, राजस्थान, त्रावनकोर-कोचीन और विंध्य प्रदेश, किन्तु राज्य मंत्रालय इस बात से सहमत है कि इसे मध्य भारत के लिये ही स्वीकार किया जाना चाहिये क्योंकि उनसे एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। अतएव मेरा सुझाव है कि मध्य भारत का राज्य अनुच्छेद 164 में जोड़ दिया जाये, श्रीमान।

***अध्यक्षः** एक और संशोधन है। श्री कृष्णमाचारी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि संशोधन के भाग 16 में, 'minorities' शब्द के स्थान पर, जहां भी वह हो, 'certain classes' ये शब्द रखे जायें।"

श्रीमान कई माननीय सदस्यों ने इस भाग के शीर्षक में 'minorities' शब्द के प्रयोग पर और अन्यत्र इस शब्द के आनुवंशिक प्रयोग पर भी आपत्ति की है। अतएव इस शब्द को हटाने का और 'minorities' शब्द के स्थान पर 'certain classes' इन शब्दों को रखने का विनिश्चय किया गया है। मुझे एक और संशोधन भी रखना है।

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 67 में, 'records' शब्द के पश्चात् 'and archaeological sites and remains' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

इसका उल्लेख समवर्ती सूची में है। किन्तु जहां तक केन्द्र को यह शक्ति है कि वह विधि द्वारा किसी पुरातत्वीय स्थानों तथा अवशेषों को तथा प्राचीन स्मारकों को केन्द्र के अधीन घोषित कर सकता है, उस विषय में यह बात कहनी रह गयी थी जिसे अब ठीक किया जा रहा है। अतएव मुझे विश्वास है कि आप इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देंगे और सदन उसे स्वीकार कर लेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तथा सदन से इस बात की क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैंने इस संशोधन को इतनी देर में पेश करने का साहस किया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अनुच्छेद 367 के विषय में संशोधन सं. 562-क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो कल पेश किया गया था। अनुच्छेद 367 के उप-खंड (3) के संबंध में इस संशोधन का प्रथम भाग यह है:—

"इस संविधान के प्रयोजनों के लिये 'Foreign State' से अभिप्रेत है ऐसा देश जो संघ के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर हो।"

उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषत: मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम ने कहा था कि भाषा अधिक सुखद नहीं थी। इस प्रश्न पर और विचार किया गया है और हमारे वैधानिक परामर्शदाता का सुझाव है कि 'which is outside the territorial jurisdiction of the Union' ये शब्द हटा दिये जायें तथा 'Other than India' ये शब्द रख दिये जायें। खंड का प्रभावी भाग संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर से बन जायेगा:—

"(3) For the purposes of this Constitution, 'Foreign State' means any State other than India."

[(3) इस संविधान के प्रयोजन के लिये 'विदेशी राज्य' से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य]

परन्तुक में भी, मेरे माननीय मित्र श्री सन्तानम की आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है। तथा 'country' शब्द के स्थान पर दोनों जगह 'State' शब्द रख दिया जायेगा। माननीय सदस्यों के लाभ के लिये मैं खंड को संशोधित रूप में पढ़ दूंगा।

***डॉ. बख्शी टेक चंद** (पूर्वी पंजाब: जनरल): इन संशोधनों को घुमाया नहीं गया है; हम माननीय सदस्य की बात को सुन भी नहीं पाते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है। मैं इसे फिर पढ़ दूंगा:—

"(3) For the purposes of this Constitution, foreign State' means any State other than India:—

Provided that, subject to the provisions 'of any law made by Parliament, the President may by order declare any State not to be a foreign State for such purposes as may be specified in the order."

[(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये 'विदेशी राज्य' से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य:

परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।]

एक और बात है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, श्रीमान। अनुच्छेद 164 के संशोधन सं. 463 में, एक आनुषंगिक परिवर्तन करना होगा क्योंकि बंगाल का नाम बदल कर पश्चिमी बंगाल करने के लिये एक संशोधन पेश किया गया है। वह संशोधन सदन के अनुमोदन से किया जायेगा।

***अध्यक्ष:** आपने प्रविष्टि सं. 67 में संशोधन पेश कर दिया है?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** हां, पेश कर दिया है।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान, मेरा एक संशोधन है जो संविधान के अनेक अध्यायों के पुनर्प्रबन्ध के विषय में है, सूची 1 में संशोधन सं. 430। इसे पेश किया हुआ समझना चाहिये; मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

***अध्यक्षः** मेरे विचार में इससे सारी ही चीज़ का पुनर्प्रबन्ध हो जायेगा।

***श्री एच.वी. कामतः** केवल संख्या निश्चित करना, श्रीमान।

***अध्यक्षः** केवल संख्या ही नहीं, पुनर्प्रबन्ध भी।

***श्री एच.वी. कामतः** आप उसे पेश किया हुआ समझ लें या नियम-विरुद्ध घोषित कर दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, श्रीमान कि मुझे आप सूची 1 के संशोधन सं. 207 तथा 197 को औपचारिक रूप में पेश करने दें। एक केन्द्रीय संसद के उच्च सदन के विषय में है: कि 'Councial of States' के स्थान पर 'Chamber of States' यह नाम रखा जाये। मैं केवल उन्हें औपचारिक रूप में पेश करूंगा।

***अध्यक्षः** यह किसी संशोधन से पैदा नहीं होता।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं आपकी विशेष अनुमति चाहता हूं, श्रीमान।

***अध्यक्षः** नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, और 430 की भी नहीं।

***श्री एच.वी. कामतः** संशोधन 197, श्रीमान, मंत्रियों के संयुक्त और वैयक्तिक उत्तरदायित्व के विषय में है और केवल सामूहिक उत्तरदायित्व के विषय में ही नहीं।

***अध्यक्षः** वह किसी संशोधन से पैदा नहीं होता। मैं इनमें से किसी की अनुमति नहीं दूंगा।

***श्री जसपतराय कपूरः** अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण संशोधन पर अब तक निश्चय नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है सदस्य इस बात पर सहमत नहीं हैं कि संयुक्त प्रान्त का क्या नाम रखा जाये। इसलिये मैं आपकी अनुमति से औपचारिक रूप में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं, जिससे कि संयुक्त प्रान्त तथा संभवतः बंगाल के नाम के विषय में विनिश्चय करने में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि बंगाल के सदस्य भी 26 जनवरी से पूर्व अपने प्रान्त का नाम बदलता चाहते हैं। यदि आप अनुमति दें तो, श्रीमान मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं:

"कि एक नया अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

'Notwithstanding anything in article 3, the Constituent Assembly of India, before the commencement of this Constitution, may by resolution alter the name of any State.' "

मैं जानता हूं, श्रीमान, माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं कि किसी राज्य का नाम उनकी सहमति के बिना नहीं बदला जाये और इसलिये मैं इस

संशोधन में यह रख रहा हूं कि इस संविधान के लागू होने से पहले संविधान सभा के संकल्प द्वारा कोई नाम परिवर्तन किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हम 26 नवम्बर तक ही नहीं बैठ रहे हैं, वरन हमें एक बार जनवरी में भी समवेत होना पड़ेगा जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और शायद कोई अन्य कार्य भी हो। यदि अब और तब के बीच में इस विषय में सदस्यों में कोई समझौता हो जाये, तो सदन द्वारा स्वीकृत किसी संकल्प द्वारा नाम बदला जा सकता है। अन्यथा अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लम्बे चौड़े तरीके से ही नाम बदला जा सकता है। आपकी अनुमति हो तो इसे पेश किया हुआ समझ लिया जाये।

अनुच्छेद 394 में भी एक छोटा-सा संशोधन करना पड़ेगा जिसका आशय यह है कि 392 के पश्चात् 392-क की संख्या रख दी जाये जिसका अर्थ यह होगा कि मैंने अभी जिस संशोधन का उल्लेख किया है वह उसी दिन से लागू हो जाये जिस दिन यह संविधान पारित हो।

***श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका** (पश्चिमी बंगाल: जनरल): अनुच्छेद 391 में वह बात आ जाती है जो मेरे मित्र ने उठाई है। यदि समझौता हो जायेगा तो राष्ट्रपति केवल एक आदेश पारित कर देगा और यह बात प्रारम्भ से पहले ही की जा सकती है।

***श्री जसपतराय कपूर:** मैंने इस प्रश्न पर वैधानिक परामर्शदाताओं से राय ली है और उनका मत यह है कि 391 के अधीन यह नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जा सके तो किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मुझे परामर्श दिया गया है। कि 391 भारत शासन अधिनियम के संशोधन के विषय में है जो बहुत लम्बा चौड़ा उपाय है।

***अध्यक्ष:** यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा तो इसका अर्थ यह होगा कि यहां तृतीय पठन में जो संविधान स्वीकृत होगा उसे, जहां तक नाम का सम्बन्ध है, इस सदन के संकल्प द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।

***माननीय श्री के. सन्तानम:** इसके लिये तृतीय पठन के पश्चात् भी सत्र करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इसकी अनुमति मिलनी चाहिये।

***श्री मोहन लाल गौतम:** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): सदन के समक्ष वास्तविक प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रान्त का नाम बदलना है और हम अभी तक कोई निश्चय नहीं कर पाये हैं और हम चाहते हैं कि संविधान के आरम्भ से पहले ही, अर्थात् 26 जनवरी से पूर्व ही नाम बदल देना चाहिये। सदन के समक्ष यही प्रश्न है। मेरा सुझाव यह है कि सभा से यह कहने के बजाय कि वह नाम बदलने के लिये पुन: समवेत होकर संकल्प पारित करे जो कि लम्बा चौड़ा उपाय है और इसलिये मेरे विचार में वांछनीय नहीं है, राष्ट्रपति को शक्ति दे दी जाये कि वह

[श्री मोहन लाल गौतम]

प्रान्तीय सरकार की सिफारिश पर संयुक्त प्रान्त का नाम बदल सके। यह बहुत सीधा-सादा प्रश्न है। नाम को बहुत पहले बदला जा सकता था। यदि प्रान्तीय सरकार उसका नाम अब तक बदल चुकी होती तो यह निश्चित बात हो जाती और कोई उस पर आपत्ति नहीं की जाती, किन्तु अब यह हमारे समक्ष है और क्योंकि अभी तक यू.पी. नाम चल रहा है अतः हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अतएव मेरा निवेदन यह है कि प्रांत की सिफारिश पर, अर्थात् प्रांतीय सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर ले तथा सदन को इस प्रयोजन के लिये समवेत न होना पड़े। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये तो मसौदा समिति इस आशय का समुचित संशोधन रख सकती है।

***पंडित ठाकुर दास भार्गवः** मेरे विचार में तृतीय पठन के पारित होने तक काफी समय शेष है—अब और तृतीय पठन के अन्त के बीच इस प्रश्न का निश्चय हो सकता है।

***अध्यक्षः** पंडित भार्गव का सुझाव है कि अब भी 25 तारीख तक सदस्यों के लिये इस प्रश्न पर समझौता करने के लिये काफी समय है। यदि वे इस पर सहमत हैं तो ऐसा किया जा सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बईः जनरल): मेरे विचार से यह कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है यदि यह सभा 26 नवम्बर को अपना सत्र समाप्त करने से पहले एक अधिनियम पारित करके भारत-शासन-अधिनियम 1935 की धारा 290 को संशोधित कर दे, जिससे गवर्नर-जनरल को यह भी शक्ति मिल जाये कि प्रांत का नाम भी बदल सके, जिससे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 391 के अन्तर्गत कार्यवाही करके अनुसूची को संशोधित कर सके जिससे कि गवर्नर-जनरल द्वारा भारत-शासन अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही को पूरा किया जा सके। इस पर कुछ मिनट से अधिक नहीं लग सकते। मसौदा-समिति या गृह-विभाग के लिये यह सम्भव होगा कि वह इस सभा के समक्ष भारत-शासन-अधिनियम 1935 की धारा 290 में परिवर्तन करने के लिये एक विधेयक पेश कर सके। ऐसा विधेयक 26 जनवरी से पूर्व पारित किया जा सकता है।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** हमें नाम बदलने पर आपत्ति नहीं है, केवल 'आर्यवर्त्त' पर आपत्ति है। इसी प्रकार हम गवर्नर-जनरल को भी अनुमति नहीं दे सकते कि वह नाम बदल कर 'आर्यवर्त्त' कर सके।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** आर्यवर्त्त नाम नहीं रखा जा सकता क्योंकि दल ने उसके विषय में निर्णय कर दिया है। मुझे विश्वास है कि बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने यह बात समझ ली होगी।

***माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत** (संयुक्त प्रांतः जनरल): आपने जो नाम अस्वीकार कर दिया है उसे संयुक्त प्रांतीय सरकार पेश नहीं करेगी तथा गवर्नर जनरल भी स्वीकार नहीं करेगा। इसे हम सब जानते हैं।

***अध्यक्षः** तो फिर अभी कुछ नहीं करना है।

***माननीय पंडित गोविंद वल्लभ पंतः** यदि यह समझ लिया जाये कि डॉ. अम्बेडकर ने जिस संशोधक विधेयक का सुझाव दिया है वैसा विधेयक हमारे विसर्जन से पूर्व पारित कर दिया जायेगा।

***अध्यक्षः** यह तो डॉ. अम्बेडकर को कहना है।

***श्री ए. थानु पिल्ले** (त्रावनकोर तथा कोचीन का संयुक्त राज्य): वह तो इस सदन को विनिश्चय करना है। उस प्रांत के लोग उसे 'भारत हृदय' कहना चाहें यह सम्भव है। हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। समस्त भारत के लिये इसका महत्व है कि उसके किस भाग को किस नाम से पुकारा जाये।

***अध्यक्षः** जब संशोधक विधेयक आये तब आप उसका विरोध कर सकते हैं। इस समय कुछ नहीं करना है।

***श्री महावीर त्यागीः** मुझे भय है कि अब भी एक गम्भीर कमी शेष है। अनुच्छेद 394 में लिखा है कि अनुच्छेद 5, 6, 7 आदि एक दम लागू हो जायेंगे। इनमें अनुच्छेद 397 भी शामिल है जो ऐसे सदस्यों के सम्बन्ध में है जो प्रांतीय सभाओं के भी सदस्य हैं और उसमें लिखा है कि उनकी सदस्यता इस संविधान के आरम्भ पर समाप्त हो जायेगी। अब यदि अनुच्छेद 394 के अनुसार, अनुच्छेद 379 पर तत्काल अमल होना है तो दोहरी सदस्यता एक दम समाप्त हो जायेगी। किन्तु तत्काल प्रभावी होने वाले संविधान में लिखा है कि इस संविधान के आरम्भ पर जिसका अर्थ यह है कि 26 जनवरी 1950 के दिन दोहरी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। शब्द ये हैं "इस संविधान के प्रारम्भ से लेकर संविधान सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि उसका उस सभा का सदस्य होना इससे पहले ही समाप्त न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्तता आकस्मिक रिक्तता समझी जायेगी।" दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से समानान्तर हैं और 'notwithstanding' शब्द द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं और उनका आशय एक-दूसरे से विपरीत है। मैं जानना चाहता हूं कि सदस्यता एक दम समाप्त हो जायेगी या 26 जनवरी को समाप्त होगी।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि उसका यह निर्वचन हो सकता है। सदस्यता 26 जनवरी से पूर्व समाप्त नहीं होगी।

***श्री बी. दास** (उड़ीसाः जनरल): मैं जानना चाहता हूं, श्रीमान, क्या मसौदा समिति का संशोधन सं. 618 पेश किया जा चुका है।

***अध्यक्षः** हां, वह पेश कर दिया गया है।

अब हम सब संशोधनों को समाप्त कर चुके हैं, और व्यापक चर्चा के लिये अब समय नहीं है। किन्तु वास्तव में जो भी चीज पेश हुई तथा जिस पर वाद-विवाद

[अध्यक्ष]

की आवश्यकता थी उस पर हम सब चर्चा कर चुके हैं। अतः मैं डॉ. अम्बेडकर से प्रार्थना करूंगा कि वे विविध संशोधनों पर वाद-विवाद का उत्तर दें।

***श्री राज बहादुरः** श्रीमान, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि सिरोही विषयक आदेश सदन के समक्ष रख दिया जाये जिससे हम यह जान सकें कि उसमें क्या है, और यह सभा उसका अनुमोदन या समर्थन कर सकती है या नहीं, या उस पर किसी प्रकार ध्यान दे सकती है या नहीं।

***अध्यक्षः** मैं नहीं समझता कि यह ऐसा मामला है जो इस सदन में आ सके। यह दूसरे सदन के लिये है। इस सदन के लिये नहीं, डॉ. अम्बेडकर।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** अध्यक्ष महोदय, अपने उत्तर में मेरा विचार कुछ अनुच्छेदों को लेने का है जिन पर सभा के सदस्यों ने अधिक आलोचना की है। हां, मेरे लिये प्रत्येक अनुच्छेद पर कुछ कहना असंभव है जिसका निर्देश सदस्यों ने अपने भाषणों में किया है। अतः मैं अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर ही कुछ कहूंगा जिनके विरुद्ध गम्भीर आपत्तियां उठाई गई हैं।

मैं अनुच्छेद 22 से आरम्भ करता हूं। वाद-विवाद के सुनते समय मैंने देखा कि इस अनुच्छेद 22 को तथा मसौदा समिति द्वारा संशोधित उसके उपबन्धों को ठीक प्रकार समझा नहीं गया है, अतः मैं ठीक-ठीक बताना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। मसौदा समिति द्वारा संशोधित रूप में अनुच्छेद 22 के उपबन्धों में निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं।

सर्वप्रथम, निवारक निरोध का प्रत्येक मामला विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिये। यह बात कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह है कि तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये जो निवारक निरोध हो उसका प्रत्येक मामला न्यायिक मंडली के समक्ष पेश किया जायेगा, जब तक कि वह ऐसा मामला न हो जिसमें संसद, खंड (7), उप-खंड (क) के अधीन विधि द्वारा निर्धारित करे कि उसे न्यायिक मंडली के समक्ष पेश न किया जाये जिसे तीन महीने से अधिक निरोध का प्राधिकार हो।

तीसरी बात यह है कि प्रत्येक मामले में चाहे वह न्यायिकमंडली के समक्ष पेश होने वाला मामला हो या न हो, संसद निरोध की अधिकतम कालावधि को निश्चित करेगा ताकि कोई व्यक्ति, जो निवारक निरोध सम्बन्धी विधि के अधीन निरुद्ध हो, अनिश्चित काल के लिये निरुद्ध किया जा सकता है। सदा निरोध की अधिकतम कालावधि तो होगी ही जो संसद को विधि द्वारा निर्धारित करनी पड़ेगी।

चौथी बात यह है कि जो मामले अनुच्छेद 22 के अधीन न्यायमंडली के सामने जाने चाहिये, उनमें मंडली जो प्रक्रिया बरतेगी उसका निश्चय संसद करेगी। मैं चाहता

हूं कि सदन मसौदा समिति द्वारा संशोधित रूप में इस नये अनुच्छेद 22 के उपबन्धों पर मूल अनुच्छेद 15क की तुलना में विचार करे। यह पता लगेगा कि मौलिक अनुच्छेद 15क पर दो आपत्तियां की गई हैं। एक यह थी कि 4(क) निरोध की उस अधिकतम कालावधि के अन्तर्गत नहीं दिखाई देता जो खण्ड (7) के अधीन निश्चित की जायेगी। खण्ड 4(क) स्वयं स्वतन्त्र प्रतीत होता है, खण्ड (7) से स्वतन्त्र। दूसरी त्रुटि यह थी कि निरोध के आधारों को बताने की आवश्यकता वाली शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होती जो 4(क) के अधीन निरोधित हों। अब यह पता चलेगा कि अनुच्छेद 22 के वर्तमान खंड (4) से ये दो त्रुटियां दूर हो जाती हैं जो 15क के मौलिक मसौदे में थीं।

अनुच्छेद 22 में कुछ संशोधन करने के बावजूद भी, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी की वक्तृता से पता लगता है कि उन्हें अब भी इस अनुच्छेद से कुछ शिकायत है। कल वक्तृता देते समय उन्होंने कहा कि निवारक निरोध विधि के प्राधिकार के बिना किया जा सकता है, और दूसरी बात, अब भी ऐसे मामले हैं जिन्हें न्याय-मंडली में जाने की आवश्यकता नहीं हैं। उनकी प्रथम टिप्पणी के विषय में मैं सादर यह कहना चाहता हूं कि वे बहुत गलती पर हैं। यद्यपि निवारक निरोध सामान्य विधि के अधीन निरोध से भिन्न है, फिर भी निवारक निरोध विधि के ही अधीन होगा। वह कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं हो सकता। वह बात पूर्णतः स्पष्ट है। उन्होंने जो दूसरी टिप्पणी की है कि नये अनुच्छेद में कुछ मामले न्याय-मंडली के क्षेत्र से बाहर रहेंगे, उसके विषय में मैं स्वीकार करता हूं कि यह बात ठीक है। किन्तु मैं यह भी कहता हूं कि ऐसा विभेद करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे निरोध के मामले भी हो सकते हैं जिनमें कि परिस्थितियां ऐसी गम्भीर हों और परिणाम ऐसे भयानक हों कि किसी व्यक्ति विशेष के निरोध विषयक तथ्यों को न्याय-मंडली के सदस्यों को भी जानने देना अभीष्ट नहीं होगा। ऐसे तथ्यों का बताना राज्य के अस्तित्व के लिये महान खतरा हो सकता है। निस्सन्देह, वे यह बात समझ जायेंगी कि अन्तिम कोटि के व्यक्तियों के लिये भी, जो न्याय-मंडली के हस्तक्षेप के बिना, तीन मास से अधिक निरुद्ध किये जायेंगे, दो विशेष परिस्थितियां हैं। पहली बात यह है कि ऐसे मामले संसद द्वारा परिभाषित होंगे। उन पर कार्यपालिका मनमाना निर्णय नहीं करेगी। सरकार को किसी व्यक्ति को तीन मास की कालावधि से अधिक निरुद्ध करने का अधिकार उन्हीं मामलों में होगा जिनमें कि संसद यह उपबन्ध कर दे कि वे मामले न्याय-मंडली में नहीं जायेंगे। किन्तु यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मामले में, विधि द्वारा निरोध की अधिकतम कालावधि निश्चित होगी चाहे वह मामला न्याय-मंडली के समक्ष जाने वाला हो या न हो।

मेरे विचार से इन संशोधनों के सम्बन्ध में जो मसौदा-समिति ने अनुच्छेद 22 में सुझाये हैं, अनुच्छेद 14क के उपबन्धों की मौलिक कठोरता में बहत सुधार कर दिया गया है। श्रीमान, अनुच्छेद 22 के विषय में मैं जो कुछ कहना अपेक्षित समझता हूं वह कह चुकने के पश्चात, मैं अनुच्छेद 373 को लूंगा, क्योंकि उसका अनुच्छेद 22 से गहरा सम्बन्ध है।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

अनुच्छेद 373 पर बहुत आलोचना हुई है तथा कुछ सदस्यों ने ऐसे अनुच्छेद को संविधान में रखने के औचित्य पर भी चुनौती दी है। किन्तु उसके उत्तर में, मैं सदस्यों का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि इस अनुच्छेद को संविधान में नहीं रखा जायेगा तो क्या होगा? मेरे विचार में यह सर्वथा स्पष्ट है कि यदि इस अनुच्छेद 373 को संविधान में नहीं रखा जायेगा तो यह होगा, कि निवारक निरोध के अधीन सब व्यक्तियों को 26 जनवरी 1950 को छोड़ दिया जायेगा, यदि उस दिन तक वे तीन मास का निरोध पूरा कर चुके हैं जो अनुच्छेद 22 के अधीन संभव है और यदि संसद अनुच्छेद 22 के खंड (7) के अधीन ऐसी विधि पारित न कर सके जिसके अधीन अधिक लम्बे समय तक निरोध किया जा सके। प्रश्न यह है: क्या यह परिणाम अभीष्ट है? क्या यह अभीष्ट है कि विद्यमान विधि के अधीन निरुद्ध सब व्यक्तियों को 26 जनवरी के दिन छोड़ दिया जाये केवल इस कारण कि संसद अधिक काल तक निरोध करने की विधि 26 जनवरी 1950 को ही बनाने में समर्थ नहीं हो सकेगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अत्यन्त हानिकारक बात होगी। अतएव यह देखते हुए कि संसद के लिये एकदम या 26 जनवरी से पूर्व समवेत होकर ऐसी विधि बनाना असंभव है जो उसी दिन लागू हो जाये, यह बात देखते हुए, यह आवश्यक है कि संविधान के अधीन किसी प्राधिकारी को ऐसा काम करने की शक्ति देना चाहिये जो अनुच्छेद 22 के उपबंधों को पूर्णत: क्रियान्वित करने के लिये संसद को करना चाहिये। संविधान के अधीन ऐसा अधिकारी कौन है? स्पष्ट है कि वह राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही ऐसा प्राधिकारी है जो 26 जनवरी को या उससे पूर्व विद्यमान होगा और जो जल्दी से विधि बना कर संसद का स्थान ले सकेगा तथा अधिक लम्बे काल तक निरोध की अनुमति देने के लिये अनुच्छेद 22 के उपबंधों को क्रियान्वित कर सकेगा। अतएव निवारक निरोध संबंधी विधि को बनाये रखने के लिये यह अत्यावश्यक है कि अनुच्छेद 373 को रखा जाये जिससे राष्ट्रपति को ऐसी विधि बनाने की शक्ति मिले जिसे संसद ही बना सकती है। श्रीमान, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 373 के उपबंधों में कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हमने अन्य अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी है कि वह कुछ विधियों का अनुकूलन कर सकता है जिससे कि वे संविधान के उपबंधों के अनुरूप बन सकें। ऐसा रूपभेद केवल संसद ही कर सकती है, किन्तु हम यह भी जानते हैं कि संसद के लिये यह संभव नहीं होगा कि एकदम 26 जनवरी को ही वह भारतीय विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित इतने वृहद विधि-ग्रन्थों का अनुकूलन कर सके और उन्हें संविधान के अनुरूप बना सके। अतएव वह शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई है। इसी प्रकार हमने एक और अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को शक्ति दी है कि वह कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये इस संविधान को ही अस्थायी रूप में संशोधित कर सकता है। अत: मेरा निवेदन है कि इस अनुच्छेद 373 में कोई नई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि निवारक

निरोध की विधि को नष्ट होने से बचाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक पूरक अनुच्छेद है।

अब श्रीमान, मैं अनुच्छेद 34 को लेता हूं जो सैनिक विधि के विषय में है। इस अनुच्छेद पर भी कठोर आलोचना हुई है। मुझे खेद है कि जो सदस्य अनुच्छेद 34 के विरुद्ध बोले हैं उन्होंने यह पूरी तरह नहीं समझा कि संविधान के अनुच्छेद 20 खंड (1) तथा अनुच्छेद 21 का क्या प्रयोजन है। श्रीमान, मैं अनुच्छेद 20, खंड (1) तथा अनुच्छेद 21 को पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि इन दो अनुच्छेदों के उपबन्धों को समझे बिना कोई सदस्य अनुच्छेद 34 की वांछनीयता को—मैं तो यह भी कहूंगा कि आवश्यकता को—नहीं समझ सकता। अनुच्छेद 20, खंड (1) में लिखा है:—

"No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence."

[कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो।]

अनुच्छेद 21 में लिखा है:

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

[किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा।]

अब, यह स्पष्ट है कि जब भी किसी क्षेत्र में उपद्रव, विद्रोह या गड़बड़ हो जाये या राज्य की सत्ता को उखाड़ दिया जाये तो सैनिक विधि लागू कर दी जाती है। सैनिक विधि का भारसाधक पदाधिकारी दो बातें करता है। वह अपने आदेश द्वारा यह घोषित कर देता है कि उसके प्राधिकार के विरुद्ध कुछ कार्य अपराध होंगे, और दूसरी बात, वह अपराध घोषित किये हुए कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के मुकदमे के लिये अपनी प्रक्रिया निश्चित कर देता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उस गड़बड़ वाले क्षेत्र के भार-साधक सैनिक समादेशक द्वारा घोषित कोई कार्य प्रवृत्त विधि द्वारा अधिनियमित अपराध नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र का समादेशक विधि-निर्माता व्यक्ति नहीं है। उसे यह घोषणा करने की शक्ति नहीं है कि कोई

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

कार्य विशेष अपराध है, और दूसरी बात उसके द्वारा दिये गये किसी आदेश का अतिक्रमण 'प्रवृत्त विधि' इस वाक्यांश के अर्थ में अपराध नहीं होगा क्योंकि 'प्रवृत्त विधि' का अर्थ विधि-निर्माता प्राधिकारी द्वारा निर्मित विधि ही हो सकता है। इसे अतिरिक्त प्रधान सेनापति या सैनिक समादेशक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया भी विधि के अनुसार प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उसे विधि बनाने का हक नहीं है। ये आदेश तो उसने अपने कृत्यों को अर्थात् विधि व्यवस्था स्थापित करने के कृत्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ निकाले हैं। स्पष्ट है कि यदि अनुच्छेद 20 खंड (1) तथा अनुच्छेद 21 को वर्तमान रूप में रहने दिया जाये, तथा अनुच्छेद 34 में उल्लिखित शर्त न लगाई जाये तो देश में सैनिक विधि असंभव होगी, और राज्य के लिये ऐसे क्षेत्र में जो विद्रोही हो गया है शीघ्रता से व्यवस्था कायम करना असंभव होगा।

अतएव ऐसा निश्चित उपबन्ध करना आवश्यक है कि चाहे अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 में कोई बात हो फिर भी प्रधान सेनापति द्वारा अपने आदेश के विरुद्ध उद्घोषित अपराध होगा। इसी प्रकार उसके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया समझी जायेगी। मुझे आशा है कि यह स्पष्ट होगा कि यदि हमारे संविधान में अनुच्छेद 34 नहीं होगा, तो सैनिक विधि का प्रशासन सर्वथा असंभव होगा और शांति स्थापित करना उस परिस्थिति में असंभव हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है श्रीमान कि अनुच्छेद 20 (1) तथा 21 की कठोरता को कम करने के लिये अनुच्छेद 34 अत्यावश्यक है।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं पूछ सकता हूं कि लोक सेवकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को इस अनुच्छेद में तारण क्यों दिया गया है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** क्योंकि, यदि मेरे माननीय मित्र वकील हैं तो वे शायद जानते ही हैं....

***श्री एच.वी. कामतः** मैं तो वकील नहीं हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर अम्बेडकरः** .....कि जब सेना-विधि होती है तब लोगों को दंड देने का कार्य केवल प्रधान सेनापति का ही नहीं होता, वरन राज्य के प्रत्येक व्यक्तिगत नागरिक का कर्तव्य भी है कि अपने कंधे पर उत्तरदायित्व को ले तथा प्रधान सेनापति की सहायता करे। इससे यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति, जो सामान्य नागरिक हो और प्रधान सेनापति के कर्मचारियों में न हो, कोई कार्य करे तो यह नितान्त आवश्यक है कि उसे भी तारण दिया जाये, क्योंकि वह जो भी कार्य करता है वह राज्य की शांति को बनाये रखने के लिए करता है और कोई कारण नहीं है कि शांति स्थापित करने में राज्य की सहायता करने वाले सैनिक अधिकारी तथा नागरिक में अन्तर क्यों किया जाये।

अब, श्रीमान, मैं अनुच्छेद 48 पर आता हूं जो गोवध के विषय में है। उसके विषय में मेरे लिये कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है क्योंकि मसौदा-समिति ने एक सर्वसम्मत संशोधन रखा है जो सूची 4 में सं. 549 है। मुझे आशा है कि उससे उन्हें संतोष हो जायेगा जो अनुच्छेद 48 के लिये मसौदा समिति द्वारा प्रस्थापित नये मसौदे से कुछ असन्तुष्ट थे।

फिर मैं अनुच्छेद 77 पर आता हूं जो कार्य-नियमों के विषय में है। इस अनुच्छेद पर वाद-विवाद के समय, कुछ सदस्य तो समझ ही नहीं सके थे कि इस अनुच्छेद की आवश्यकता ही क्या है। कुछ सदस्यों ने कहा था कि यदि यह अनुच्छेद आवश्यक है ही तो कार्य-नियमों को बनाने का अधिकार प्रधान मंत्री को दिया जाना चाहिये। दूसरों ने कहा था कि यदि यह अनुच्छेद आवश्यक है तो केवल इसलिये कि कार्य का निर्वहन कुशलता से हो और इसलिये इस खण्ड में 'कुशलता' (efficient) शब्द रख देना चाहिये। अब, श्रीमान, मुझे इस पर खेद है कि अनुच्छेद 77 पर वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिक सदस्य इस अनुच्छेद के मूल आधार को ही नहीं समझे। कार्य नियम बनाने की शक्ति प्रधान में होने के प्रश्न पर, मेरा विचार है कि यह बात समुचित रूप से नहीं समझी गई है कि इसका प्रभाव वही होगा क्योंकि यद्यपि अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है तथापि राष्ट्रपति के लिये प्रधान मंत्री की मन्त्रणा को स्वीकार करना भी तो आवश्यक है। इसका परिणाम यह होगा कि अनुच्छेद 77 के अन्तर्गत राष्ट्रपति जो नियम बनायेगा वे वास्तव में प्रधान मंत्री द्वारा तथा उसकी मन्त्रणा पर ही बनाये जायेंगे।

अब, श्रीमान, अनुच्छेद 77 की आवश्यकता को ठीक-ठीक समझने के लिये, पहली बात तो यह समझनी अपेक्षित है कि अनुच्छेद 77 का अनुच्छेद 53 से गहरा सम्बन्ध है। वास्तव में अनुच्छेद 77 तो अनुच्छेद 53 के परिणामस्वरूप ही बना है। अनुच्छेद 53 में एक आवश्यक उपबन्ध है। संविधान के सामान्य उपबन्धों के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा यह कहा जा सकता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है अतः राष्ट्रपति को जिस शक्ति के प्रयोग का अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग वह व्यक्तिगत रूप से ही करेगा। ऐसी बात का निराकरण करने के लिये, अनुच्छेद 53 रखा गया था जिसमें स्पष्ट लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या तो प्रत्यक्ष रूप में या दूसरे के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में कर सकता है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 53 से राष्ट्रपति को अनुमति मिल जाती है कि वह दूसरों को अधिकार दे सकता है कि वे उस शक्ति का प्रयोग करें जो संविधान द्वारा उसमें निहित की गई है। अब, श्रीमान, अनुच्छेद 53 के इस विशिष्ट उपबन्ध को भी कार्यान्वित करना है जिससे राष्ट्रपति को अधिकार मिला है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं न करके दूसरों के द्वारा कर सकता है। अन्यथा, अनुच्छेद 53 व्यर्थ हो जायेगा। यह प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा विधि-रूप उपबन्ध करना क्यों आवश्यक है जो कि अनुच्छेद 77 में किया जा रहा है जिससे राष्ट्रपति को कार्य-नियम बनाने के लिये कहा गया है। यह बात राष्ट्रपति पर क्यों

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

नहीं छोड़ दी गई कि वह चाहे तो ऐसा करे और चाहे तो न करे। अतः अनुच्छेद 77 में ऐसे विधि-रूप उपबन्ध रखने की आवश्यकता को समझना अपेक्षित है।

अनुच्छेद 77 की आलोचना करते समय दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि यदि राष्ट्रपति अपनी शक्ति किसी अधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को देना चाहे तो इसका कोई साक्ष्य होना चाहिये कि उसने अपनी शक्ति प्रदान कर दी है। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति विशेष को अपने नाम से काम करने या सरकार के नाम से कम करने की शक्ति देना चाहता है, तो भी उस व्यक्ति विशेष की या पदाधिकारी विशेष की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये। अन्यथा न्यायालय में बहुत मुकदमेबाजी आरम्भ हो सकती है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा शक्ति प्रदान करने के प्रश्न उठें या संघ के राष्ट्रपति में निहित शक्तियों को प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति विशेष की सत्ता के प्रश्न उठें। हमारे न्यायालयों की मुकदमेबाजी से परिचित व्यक्तियों को शिवनाथ बनर्जी बनाम बंगाल सरकार वाला प्रसिद्ध मामला याद होगा। भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, राज्यपाल ने कुछ नियम बनाये थे जिनमें कुछ व्यक्तियों को शक्ति दी गई थी कि वे कुछ व्यक्तियों को, जिन्होंने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के विरुद्ध अपराध किये थे, गिरफ्तार कर सकें। प्रश्न यह उठता था कि क्या इस व्यक्ति विशेष को, जिसने उस विधि विशेष के अन्तर्गत गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उस काम के करने की शक्ति थी, और अपने आप को संतुष्ट करने के लिये कलकत्ता उच्चन्यायालय ने बंगाल सरकार से कहा कि वह न्यायालय का समाधान करे कि वह व्यक्ति विशेष जिसे गिरफ्तार करने का प्राधिकार दिया गया था बंगाल सरकार द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति ही था। बंगाल सरकार को न्यायालय के निरीक्षण के लिये अपने कार्य-नियम उपस्थित करने पड़े तब न्यायालय का समाधान हुआ कि जिस व्यक्ति ने उस शक्ति का प्रयोग किया था वही कार्य-नियमों द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति था।

कार्यों के लिये शक्ति देने के सम्बन्ध में इस प्रकार की मुकदमेबाजी को हटाने के लिये ही हमने यह सोचा था कि अनुच्छेद 77 के समान उपबन्ध रखना अपेक्षित है। हां, इस अनुच्छेद से संसद की यह शक्ति नहीं छिन जाती कि वह विधि बनाकर अन्य व्यक्तियों को भी भारत सरकार के नाम से काम करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। किन्तु जब संसद ऐसा उपबंध नहीं बनाती, तब यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति ऐसी कार्यवाही करेगा जिससे ऐसी कोई कोई मुकदमेबाजी न हो जो अन्यथा हो सकती है।

अनुच्छेद 100 के विषय में, जो गणपूर्ति के विषय में है, मुझे पता नहीं है कि मेरे लिये उसके उत्तर में कुछ कहना आवश्यक है या नहीं। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि अन्य देशों के विधायी निकायों में निश्चित गणपूर्ति सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका है कि पहले जो गणपूर्ति निश्चित

की गई थी वह शायद काफी ज्यादा थी और इसलिये हमने यह सुझाव दिया कि गणपूर्ति को कम कर दिया जाये। मसौदा समिति की प्रस्थापना पूर्ण प्रस्थापना नहीं है, क्योंकि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। यदि संसद गणपूर्ति के विषय में कुछ अनुभव के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचे कि अधिक गणपूर्ति से संसद का काम चलाना संभव है। तो संसद को अनुच्छेद 100 के इस उपबन्ध को बदलने में कोई बाधा नहीं होगी। अतएव यह उपबंध अत्यन्त लचकदार है और इसमें विद्यमान स्थिति का ध्यान रखा गया है, और भविष्य के अनुभव से लाभ उठाकर संसद को यह उपबन्ध बदलने की अनुमति होनी चाहिये।

अनुच्छेद 128 के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। यह कहा गया है कि हमें अपने न्यायाधीशों को अधिक मोटा नहीं बनाना चाहिये। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों के वेतनों का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है। सदन ने विद्यमान न्यायाधीशों के लिये वेतन-क्रम निश्चित कर दिया है तथा भावी न्यायाधीशों के लिये भी वेतन-क्रम निश्चित कर दिया है। हमें केवल इसी प्रश्न पर विचार करना है कि जब कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होता है तब क्या सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसे उस न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सके? यदि ऐसा हो तो, क्या उस स्थानान्तरण पर उसे कुछ आर्थिक भत्ता देकर उस हानि की पूर्ति की जाये जो उसे उस स्थानान्तरण के कारण उठानी पड़ सकती है? मसौदा समिति ने यह अनुभव किया कि जहां तक न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रश्न है समस्त उच्च न्यायालय अब केन्द्रीय हो जायेंगे, अतएव भारत भर के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आई.सी.एस. के समान एक ही श्रेणी में समझना अभीष्ट होगा और वे उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजे जा सकें। यदि ऐसी शक्ति केन्द्र के लिये रक्षित नहीं की जायेगी तो न्याय प्रशासन अत्यन्त कठिन मामला बन जायेगा। यह आवश्यक हो सकता है कि किसी स्थान पर योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण बाहर से अधिक योग्य व्यक्ति को बुला कर वहां के उच्च न्यायालय को अधिक प्रबल बनाने के उद्देश्य से एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी न्यायाधीश को भेजा जाये। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय में नये मुख्य न्यायाधिपति को बाहर से बुलाना अभीष्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बुलाना वांछनीय हो सकता है जो स्थानीय राजनीति तथा स्थानीय ईर्षा-द्वेष से अप्रभावित है। अतएव हमने यह सोचा कि स्थानान्तरण की शक्ति को केन्द्रीय सरकार के हाथ में रख देना ठीक रहेगा।

हमने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण करने की इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। हो सकता है कि कोई प्रांतीय सरकार किसी न्यायाधीश विशेष को अपने उच्च न्यायालय से इस कारण स्थानान्तरित करना चाहे कि वह न्यायाधीश कुछ न्यायिक

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

मामलों में विशेष प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने के कारण प्रान्तीय सरकार के लिये अत्यन्त असुविधाजनक हो गया है, वह ऐसे निर्णय करने के कारण जो प्रान्तीय सरकार को पसन्द न हों उनके लिये आफत बन गया है। हमने इस बात का ध्यान रखा है कि इन स्थानान्तरणों के करने में ऐसी किसी बात का प्रभाव न पड़े। स्थानान्तरण केवल सामान्य प्रशासन की सुविधा के आधार पर होने चाहिये। अतएव हमने एक उपबन्ध रखा है कि ऐसे स्थानान्तरण भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके किये जायें क्योंकि उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह सरकार को इस प्रकार मंत्रणा देगा जिस पर स्थानीय या व्यक्तिगत पक्षपातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अतएव केवल यही प्रश्न रह जाता है कि क्या यह स्थानान्तरण ऐसा बाध्यकारी हो कि हानि की क्षतिपूर्ति का कोई उपबंध न हो। हमने अनुभव किया कि इससे बहुत कठिनाई होगी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्थानीय वकीलों में से नियुक्त होता है। उसका वहां मकान हो सकता है। उसके पास मकान तथा अन्य चीज़ें हो सकती हैं जिनमें उसकी व्यक्तिगत दिलचस्पी हो। यदि उसे एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो स्पष्टत: वह अपना सारा घरबार स्थानान्तरित नहीं कर सकता। उसे अपने पुराने प्रांत में जहां उसे स्थानान्तरित किया जायेगा, नया घरबार स्थापित करना होगा। अत: मसौदा समिति ने ऐसा उपबंध करने में औचित्य अनुभव किया कि जहां ऐसा स्थानान्तरण किया जाये वहां संसद को अधिकार होगा कि इस प्रकार स्थानान्तरित न्यायाधीश को वह व्यक्तिगत भत्ता दे सकती है। मेरा कहना यह है कि मसौदा समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधन में कोई त्रुटि नहीं है।

अनुच्छेद 148 के विषय में, मुझे इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने जो संशोधन (सं. 618) पेश किया है वह उन सब को पसंद है जिन्होंने इस अनुच्छेद विशेष में दिलचस्पी ली थी।

इसी प्रकार अनुच्छेद 320, जिस पर इतना विवाद था (यदि मैं किसी का दिल दुखाये बिना कह सकूं तो यह बिल्कुल व्यर्थ विवाद था) पर वह सब विवाद नये संशोधन सं. 558 से समाप्त हो गया है जिससे वे आपत्तिजनक भाग हट गये हैं जिन्हें एक समय सदस्य पसंद नहीं करते थे।

अनुच्छेद 365 के विषय में काफी वाद-विवाद तथा चर्चा पहले ही हो चुकी है। मैंने भी उसी वाद-विवाद में भाग लिया था और अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया था। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा था उस पर विचार करने के पश्चात् सदस्य देखेंगे कि अनुच्छेद 365 एक आवश्यक अनुच्छेद है और उससे किसी प्रकार सदन द्वारा पहले किये हुए विनिश्चय समाप्त नहीं हो जाते।

मैं अनुच्छेद 378 को लेता हूं। यह कहा गया था कि इस अनुच्छेद में एकरूपता वाला उपबंध होना चाहिये जिससे कि निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या का निर्धारण किया जा सके। मुझे यह कहने में खेद है कि मैं इस एकरूपता वाले नियम की प्रस्थापना को स्वीकार नहीं कर सकता। विविध प्रांतों की बदलती हुई परिस्थितियों में एकरूप नियम रखना असंभव है। अतएव केन्द्र को अपने पास यह स्वतंत्रता रखनी चाहिये कि वह जनसंख्या का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिये विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग कसौटियां लागू कर सके। यदि विभिन्न प्रांतों पर विभिन्न नियम लागू करने के कारण कोई गम्भीर अंतर पड़ जाये तो भावी संसद इस पर फिर भी विचार कर सकती है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बद्ध सब मामले निस्संदेह संसद के समक्ष पेश होंगे और संसद स्वयं यह देख सकेगी कि केन्द्रीय सरकार ने जो जनसंख्या का पता लगाया है वह ठीक है, या कम है या अधिक है। अब श्रीमान, मैं अनुच्छेद 361 पर आता हूं।

***पंडित बालकृष्ण शर्मा:** अनुच्छेद 379?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अनुच्छेद 379 के विषय में मैं अपने माननीय मित्र श्री शर्मा की आपत्ति को बिल्कुल समझ सकता हूं। उन्हें प्रधानत: 'Dominion of India' इन शब्दों पर आपत्ति है। कल मैंने प्रमुख मसौदा-लेखक श्री मुखर्जी की सहायता से अनुच्छेद की पुनर्रचना करने का प्रयत्न किया जिससे कि 'Dominion of India' इन शब्दों को हटाया जा सके। किन्तु मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं सफल नहीं हुआ। अतएव मैं श्री शर्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे अनुच्छेद को इसी रूप में रहने दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, किन्तु हमारे पास जो थोड़ा सा समय रह गया था उसमें मुझे इसका कोई इलाज दिखाई नहीं दिया।

अब अनुच्छेद 391 के विषय में, स्थिति यह है: संविधान में नौ प्रांतों के निर्माण के लिये दो प्रकार के उपबंध हैं। संविधान के प्रारंभ के पश्चात् प्रांतों की सृष्टि हो सकती है। 26 नवम्बर तथा 26 जनवरी के बीच में भी नये प्रांत बनाये जा सकते हैं। संविधान के प्रारंभ के पश्चात् प्रांतों के निर्माण के विषय में अनुच्छेद 3 तथा 4 का प्रयोग होगा। उनसे संसद को शक्ति मिलती है कि वह नये प्रांत बनाने के लिये प्रांतों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। वे अनुच्छेद इतने स्पष्ट हैं कि मैं नहीं समझता कि मेरे लिये कोई व्याख्या करना आवश्यक है।

अब तथा 26 जनवरी के बीच नये प्रांतों के निर्माण के विषय में, 1935 के भारत-शासन अधिनियम की धारा 290 तथा वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 391 लागू होंगे। श्रीमान, अनुच्छेद 391 में लिखा है कि यदि अब तथा 26 जनवरी के बीच में किसी समय भारत-शासन-अधिनियम 1935 के अधीन कार्यवाही करने

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी कार्यवाही नहीं करता, तो राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 391 में अधिकार दिया गया है कि वह भारत-शासन-अधिनियम की धारा 290 के अधीन दिये गये आदेश को प्रभावी बना सकता है। 'चाहे'—यह महत्वपूर्ण बात है—'चाहे 25 जनवरी को भारत-शासन-अधिनियम, 1935 का निरसन हो जायेगा,' फिर भी यह कार्य वैध रहेगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 391 के अधीन शक्ति दी गई है कि वह भारत-शासन-अधिनियम, 1935 के अधीन की गई इस कार्यवाही को बनाये रखे और उसे प्रभावी बनाने के लिये एक आदेश निकाल दे जिससे कि प्रथम अनुसूची को तथा इसके फलस्वरूप चौथी अनुसूची को, जो राज्य-परिषद् में प्रतिनिधित्व के विषय में है, संशोधित कर दिया जाये।

***एक माननीय सदस्यः** वह 26 जनवरी के पश्चात् ही कार्यवाही कर सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** वह कभी भी कार्यवाही कर सकता है। संविधान सभा उस विषय में कुछ भी नहीं कर सकेगी क्योंकि वह उस प्रयोजन के लिये 26 नवम्बर के पश्चात् रहेगी ही नहीं। बात यह है कि भारत-शासन-अधिनियम 1935 तो 25 नवम्बर के पश्चात् भी लागू रहेगा। जब तक वह अधिनियम लागू रहता है तब तक उसके अंतर्गत काम करने का अधिकार भी गवर्नर-जनरल को रहता है। वह जब चाहे कार्यवाही कर सकता है।

मेरे मित्र, श्री सिधवा ने एक प्रश्न उठाया था कि अभी और 25 जनवरी के बीच जो कार्यवाही की जाये उस पर संसद को विचार करने का अधिकार होना चाहिये। मेरे विचार में उनकी यही मंशा है कि यह काम केवल कार्यपालिका द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिये। मेरे मित्र श्री सिधवा को याद होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू होगा। 25 जनवरी तक जो संविधान लागू रहेगा वह भारत-शासन अधिनियम 1935 में, जो 15 अगस्त 1947 को अनुकूल बनाया गया था निहित संविधान है। अतएव, अब तथा 25 जनवरी के बीच का संविधान वह संविधान नहीं है जो हम पारित कर रहे हैं, वरन भारत-शासन-अधिनियम 1935 में निहित संविधान है। अतएव उनके इस प्रश्न के विषय में कि इस मामले में राय देने का अधिकार संसद को होना चाहिये या भारतीय विधान-मंडल को होना चाहिये, उत्तर यह है कि भारत-शासन-अधिनियम, 1935 की धारा 290 से इसका निर्धारण होगा।

यदि मेरे मित्र श्री सिधवा भारत-शासन-अधिनियम की धारा 290 को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधान-मंडल के विचारों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय विधान मंडल के विचारों को जानने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके लिये इतना ही अपेक्षित है कि वह उस आदेश से प्रभावित किसी प्रान्त की सरकार के विचारों का पता लगा ले। अतएव जहां तक धारा 290 के क्रियान्वित होने का संबंध है, इसमें प्रांतीय विधान-मंडल तथा भारतीय विधान-मंडल दोनों में से किसी से परामर्श करना गवर्नर जनरल के लिये

आवश्यक नहीं है, और जहां तक अब तथा 25 जनवरी के बीच प्रांतों के निर्माण का संबंध है यही धारा प्रयुक्त हो सकती है। अतएव कितनी ही सद्भावना हो फिर भी मेरे मित्र श्री सिधवा की इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिये उन्हें धारा 290 के उपबन्धों से ही संतुष्ट हो जाना चाहिये। श्रीमान, मैं नहीं समझता कि किसी अन्य अनुच्छेद पर उत्तर देना आवश्यक है। अतएव मैं इस आशा के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि सदन मसौदा-समिति द्वारा प्रस्थापित संशोधनों को स्वीकार कर सकेगा *(हर्षध्वनि)*

***अध्यक्षः** मैं अब संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा। सदस्यों ने देख लिया है कि ऐसे कई संशोधन हैं जो मसौदा समिति के किसी न किसी संशोधन से उत्पन्न होते हैं। हो सकता है कि कुछ संशोधन, जो सदस्यों ने पेश किये हैं, मसौदा समिति को स्वीकार्य हों और यह भी हो सकता है कि कुछ सदस्य अपने संशोधनों को, जो कि उन्होंने पेश किये हैं, वापिस लेने के लिये राजी हों।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** क्या मैं उन संशोधनों का उल्लेख कर दूं, जिन्हें हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?

***अध्यक्षः** मैं अभी उसी पर आ रहा था। यदि मसौदा समिति यह संकेत कर दे कि उन्हें कौन से संशोधन स्वीकार्य हैं तो हम उन पर मतदान के बिना काम चला सकते हैं, और यदि दूसरी ओर, अन्य सदस्य भी यह बता सकें कि वे किन संशोधनों पर जोर नहीं देना चाहते तो हम उन्हें छोड़ देंगे, जिससे कि मतदान होने वाले संशोधन कम हो सकें।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि सूची 4, 5, 6 तथा 7 में मसौदा समिति द्वारा सुझाये गये कुछ संशोधन कुछ सदस्यों से वाद-विवाद के फलस्वरूप रखे गये हैं जिन्होंने कि संशोधन पेश किये थे जो सूची 1 में थे, और उनके तथा मसौदा समिति के बीच जो समझौता हुआ है उसके फलस्वरूप ही इन में से कुछ संशोधन पेश किये गये हैं, जो मेरे विचार में, सदन स्वीकार कर लेगा। जिन माननीय सदस्यों ने मूल संशोधन पेश किये थे जो सूची 1 में थे, मेरे विचार में वे उन संशोधनों पर जोर नहीं देंगे वरन उन्हें वापस ले लेंगे क्योंकि मसौदा समिति ने उनकी बात पूरी करने के लिये नये संशोधन पेश किये हैं। इन संशोधनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे संशोधन हैं जो हम स्वीकार कर लेंगे और जो सूची 1 में हैं। ये सब संशोधन मेरे माननीय मित्र श्री एच.वी. कामत के नाम से हैं। वे हैं—अनुच्छेद 164 पर संशोधन सं. 329 जो 'कोशल विदर्भ' के स्थान पर 'मध्य प्रदेश' रखने के विषय में है, अनुच्छेद 320 पर दो संशोधन सं. 394 तथा 395 में से पहला विकल्प। मसौदा समिति का संशोधन इसी आशय का है। किन्तु क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने यह संशोधन पेश कर दिया है अतः हम उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हैं—अनुच्छेद 379 पर संशोधन सं. 41त तथा प्रथम अनुसूची पर संशोधन सं. 431 जो संशोधन

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

सं. 329 की स्वीकृति का ही परिणाम है कि "कोशल विदर्भ" के स्थान पर "मध्य प्रदेश" रख दिया जाये। हम इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण को मसौदा समिति ने स्वीकार कर लिया है और माननीय सदस्यों के प्रयोजन के अनुकूल संशोधन पेश कर दिये हैं क्योंकि हमने देखा कि विधि-संबंधी बातों को पूरा करने के लिये उन संशोधनों को अन्य रूप में रखना अत्यावश्यक था। मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर न देकर सदन की सहायता करेंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** अनुच्छेद 41 पर मेरे संशोधन के विषय में क्या स्थिति है जिसके बारे में मैंने अपने माननीय मित्र से बात की थी और जिसे वे स्वीकार करने के लिए तैयार थे।

***अध्यक्ष:** जब हम उस तक पहुंचेंगे तब उसे ले लेंगे।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं कह सकता हूं, श्रीमान, कि उन्होंने मुझे कहा अवश्य था कि अनुच्छेद 41 में 'public assistance' के स्थान पर 'State assistance' ये शब्द होने चाहिये। यदि संशोधन भेजा जाये तो आप कृपया संशोधन को पेश करने दें। मुझे संशोधन कर कोई आपत्ति नहीं हैं, किन्तु मैं देखता हूं कि कोई संशोधन ही नहीं है।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरा संशोधन है, सूची 1 में सं. 138।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।

***अध्यक्ष:** आपने उसका आज प्रात:काल उल्लेख किया था। अब मैं संशोधनों को उसी हिसाब से लूंगा जिस हिसाब से वे पेश किये गये हैं। सबसे पहले, श्री कामत का संशोधन सं. 6 है।

***श्री बी. दास:** श्रीमान, आपके लिये सूची 1 के संशोधनों को पढ़ना आवश्यक नहीं है। हम सब सहमत हैं कि हमारे सब संशोधन वापिस लिये जा सकते हैं, क्योंकि मसौदा समिति ने उन्हीं संशोधनों को दूसरे रूप में पेश कर दिया है। उदाहरण के लिये मेरे संशोधन सं. 313 को लीजिये। वह 618 में आ जाता है। आपके लिये संशोधनों को पढ़ना अपेक्षित नहीं है। मैं ऐसा समझ लूंगा कि सूची 1 के सब संशोधन वापिस ले लिये गये हैं।

***अध्यक्ष:** अन्य संशोधन भी हैं जिन्हें शायद माननीय सदस्य वापस नहीं लेना चाहें। मेरे विचार में मैं सब संशोधनों पर मत ले लूं।

---

*138. कि अनुच्छेद 41 में, 'public assistance' इन शब्दों के स्थान पर 'State assistance' ये शब्द रख दिये जायें।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 1 के खंड (1) में, 'that is' इन शब्दों के पश्चात् एक अर्ध विराम (कामा) लगा दिया जाये तथा 'भारत' शब्द के पश्चात् का अर्ध-विराम हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 13 के खंड (3) के उप-खंड (क) में

(1) 'having' शब्द के पश्चात् 'the force of law' ये शब्द रख दिये जायें;

(2) 'India' शब्द के पश्चात् 'or any part thereof' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें; और

(3) 'the force of law' ये शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** यदि मैं गलती से कोई संशोधन छोड़ दूं, तो माननीय सदस्य मेरा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर देंगे। अनुच्छेद 22 पर संशोधन सं. 83 जो काफी बदला जा चुका है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 34 को हटा दिया जाये"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** इस अनुच्छेद 122 पर कुछ और संशोधन भी हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं सं. 122 तथा 123 को वापस लेता हूं, किन्तु 124 को नहीं।

संशोधन सं. 122 तथा 123, सभा की अनुमति से वापिस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 34 में, 'done under martial law' इन शब्दों के स्थान पर 'done by such person under martial law' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामत:** मेरे संशोधन सं. 138 का क्या हुआ जिसका मैंने अभी निर्देश किया था।

***अध्यक्ष:** हां। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 41 में, 'public assistance' इन शब्दों के स्थान पर 'State assistance' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** फिर हम अनुच्छेद 48 को लेते हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैं अपने संशोधन सं. 141 को वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

***पं. ठाकुर दास भार्गव:** मैं अनुच्छेद 48 के विषय में अपने सब संशोधनों को (142 तथा 144 को) वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये।

***अध्यक्ष:** मैं मान लेता हूं कि अनुच्छेद 549 स्वीकृत हो जायेगा। अतएव मैं उसपर सीधा ही मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 48 में 'for improving the breeds of milch and draught cattle including cows and calves and for prohibiting their slaughter' इन शब्दों के स्थान पर 'for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** फिर हम अनुच्छेद 53 पर आते हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं अपने संशोधन सं. 151 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 53 के खंड (1) में, 'Constitution' शब्द के पश्चात् 'and the law' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर हम अनुच्छेद 57 पर आते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 57, 'subject to the other provisions of this Constitution' ये शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"यह अनुच्छेद 69 में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र में, 'as by law established' ये शब्द हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 69 में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र में 'the duty upon which I am about to enter' इन शब्दों के स्थान पर 'the duties of the office upon which I am about to enter' शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 71 के खंड (2) में, 'the date of the decision' इन शब्दों के स्थान पर 'the time of the decision' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 584 पर ज़ोर नहीं दिया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 71 के खंड (2) में, 'before the date' इन शब्दों के स्थान पर 'on or before the date' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मैं संशोधन सं. 201 को वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं अपने संशोधन सं. 202 को वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, मैं अपने संशोधन सं. 203 को वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 77 के खंड (3) में, 'more convenient' इन शब्दों के स्थान पर 'efficient and convenient' ये शब्द रखे जायें।"

या विकल्प से

"कि अनुच्छेद 77 के खंड (3) में, 'more' शब्द हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 96 के खंड (2) में, 'and shall, notwithstanding anything in article 100, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of equality of votes' इन शब्दों के स्थान पर 'but, notwithstanding anything in article 100, shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during such proceedings' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं अपने संशोधन सं. 228 को वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

(श्री कामत ने अपने संशोधन सं. 231, 234 तथा 235 पर जोर नहीं दिया।)

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 100 पर संशोधन सं. 233 है। मेरे विचार में मैं इस पर अभी मत नहीं लूं तो अच्छा है। मेरे विचार में यह कंडिकाओं की संख्या बदलने के विषय में है।

संशोधन सं. 238 श्री कामत तथा प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना के नाम से है। मैं भूल गया कि उसे किसने पेश किया था।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** वह स्वीकार कर लिया गया है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वह संशोधन सं. 452 में आ जाता है।

***अध्यक्ष:** मैं मान लेता हूं कि संशोधन संख्या 238 को वापस ले लिया गया है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** हां, श्रीमान।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 452 के लिये, मैं उसे अभी छोड़ दूं तो अच्छा होगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 100 के खंड (3) में, 'one-tenth' शब्द के स्थान पर 'one-sixth' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 128 में, 'the President may by order' इन शब्दों के स्थान पर 'Parliament may by law' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (3) को हटा दिया जाये और अनुच्छेद 145 के खंड (1) से पूर्व, निम्न प्रविष्ट किया जाये:–

'The Supreme Court shall make rules for regulating the practice and procedure of the appropriate proceeding relating to the enforcement of rights conferred under Part III';

और बाद के खंडों की संख्या तदनुसार बना दी जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (ग) को हटा दिया जाये; और कथित अनुच्छेद के खंड (1) के पश्चात्, निम्न नया खंड प्रविष्ट किया जाये और आनुषंगिक परिवर्तन कर दिये जायें:–

'(2) The Supreme Court shall make rules for regulating the practice and procedure of the appropriate proceedings relating to the enforcement of rights conferred under Part III.' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 313। एक और संशोधन है। यह मसौदा समिति के संशोधन संख्या 618 में आ जाता है।

***श्री बी. दासः** मैं इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, श्रीमान।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं संख्या 320 वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 154 के खंड (1) में, 'Constitution' शब्द के पश्चात् 'and the law' ये शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 164 के खंड (1) के परन्तुक में, 'कोशल विदर्भ' इन शब्दों के स्थान पर 'मध्य प्रदेश' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मैं सं. 332 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

***श्री आर.के. सिधवाः** और सं. 333, श्रीमान।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 166 के खंड (3) में, 'more convenient' इन शब्दों के स्थान पर 'efficient' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 166 के खंड (3) में, 'in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion' ये शब्द हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं सं. 340 को वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

*कि अनुच्छेद 172 के खंड (2) में, 'possible' के स्थान पर 'practical' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 181 के खंड (2) में, 'and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of equality of votes' इन शब्दों के स्थान पर 'but notwithstanding anything in article 189, shall not be entitled to vote on such resolution or on any matter during such proceedings' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं सं. 344 को वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 185 के खंड (2) में, 'and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but

[अध्यक्ष]

not in the case of equality of votes' इन शब्दों के स्थान पर 'but, notwithstanding anything in article 189, shall not be entitled to vote on such resolution or any matter during such proceedings' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामत:** मैं 346 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 189 के खंड (3) की द्वितीय कंडिका में, 'The quorum shall, until the legislature of the State by law otherwise provides' इन शब्दों के स्थान पर 'Until the legislature of the State by law otherwise provides, the quorum shall' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या वह मसौदा समिति के एक संशोधन में नहीं आ जाता?

***अध्यक्ष:** इसके शब्द भिन्न हैं। यदि यह किसी संशोधन में आ जाता है तो उसे ले लिया जायेगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 189 के खंड (3) में, 'ten' तथा 'one-tenth' इन शब्दों के स्थान पर 'twenty' और 'one-eighth' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान, मैं सं. 353 को वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 222 का खंड (2) हटाया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि, अनुच्छेद 224 में, 'the President may by order' इन शब्दों के स्थान पर 'Parliament may by law' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***पंडित ठाकुर दास भार्गवः** मैं संख्या 383 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 309 के परन्तुक में, 'or such person as he may direct' ये शब्द जहां कहीं भी हों हटा दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 311 के खंड (3) में, 'reasonably practicable to give to any person an opportunity' इन शब्दों के स्थान पर 'practicable to give to any person a reasonable opportunity' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं संशोधन सं. 389 को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 319 के खंड (ग) में, 'other than a Joint Commission' इन शब्दों के स्थान पर 'or as the Chairman of a Joint Commission' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 394 ।

***श्री एच.वी. कामतः** संख्या 394 तथा 395 स्वीकृत हो गये हैं, श्रीमान, प्रथम विकल्प।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** उन्हें एक साथ रखा जा सकता है; वे लगभग एक से ही हैं।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप-खंड (घ) में 'under an Indian State' इन शब्दों के स्थान पर 'under the Government of an Indian State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उप खंड (ङ) में, 'under an Indian State' इन शब्दों के स्थान पर 'under the Government of an Indian State' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***पंडित ठाकुर दास भार्गवः** मैं सं. 396 को वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 325 में, 'shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in' इन शब्दों के स्थान पर 'shall be excluded from or claim to be included in' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 333 ।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरा संशोधन संख्या 399 है, श्रीमान।

***अध्यक्षः** मुझे पता नहीं कि यह संगत है या नहीं; किन्तु मैं इस पर मत ले लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 325 में, 'caste' शब्द के पश्चात् 'class' शब्द प्रविष्ट किया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 344 के खंड (3) में, 'persons belonging to the non-Hindi speaking areas' इन शब्दों के स्थान पर 'the non-Hindi speaking sections of the population' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 365 को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 365 में, 'where' शब्द के पश्चात् 'the President is satisfied that' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 365 में under any of the provisions of this Constitution' इन शब्दों के पश्चात् 'which is in direct contravention of the declared policy of the Union' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 373 हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 373 में, 'one year' इन शब्दों के स्थान पर 'three months' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 379 के खंड (5) में, 'after such commencement' इन शब्दों के स्थान पर 'on such commencement' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***पंडित बालकृष्ण शर्माः** संशोधन संख्या 416 छूट गया है।

***अध्यक्षः** मैं इसे संशोधन सं. 503 के साथ लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 387 में, 'and different provisions may be made for different States and for different purposes by such order' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं सं. 424 तथा 425 को वापस लेता हूं।

***श्री आर.के. सिधवाः** सं. 426 भी।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) में, 'before' शब्द के स्थान पर 'until' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) में, 'before' के स्थान पर 'until immediately before' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 5 में 'कोशल विदर्भ' नाम के स्थान पर 'मध्य प्रदेश' यह नाम रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं सं. 432 को वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची के भाग क की मद 9 में, 'The United Provinces' इस नाम के स्थान पर 'आर्यवर्त' नाम रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 9 की उप-कंडिका (3) में 'during the period' इन शब्दों से आरम्भ होने वाले तथा 'before such commencement' इन शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों को हटाया जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 10 की उप-कंडिका (2) को हटाया जाये"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 10 की उप-कंडिका (4) में, 'for any State' इन शब्दों के स्थान पर 'of any State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 12 की उप-कंडिका (3) में, 'and' शब्द के स्थान पर जो पंक्ति 1 में है, एक अर्ध-विराम रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि चतुर्थ अनुसूची में स्तम्भ 1 में, 'कोशल विदर्भ' नाम के स्थान पर 'मध्य प्रदेश' नाम रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 1 में, 'preparation' शब्द के पीछे 'and operation' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 65 में, 'police' शब्द से पूर्व 'Administrative or' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 3 की प्रविष्टि 34 को सूची 1 में स्थानान्तरित कर दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 9 में 'article 5' इस शब्द तथा अंक के पश्चात् 'or be deemed to be a citizen of India by virtue of' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान, मैं सं. 443 को वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 58 की व्याख्या में, 'For the purposes of this clause' इन शब्दों के स्थान पर 'For the purposes of this article' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 59 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये:—

'(3) The President shall be entitled without payment of rest to the use of this official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances, and privileges as are specified in the Second Schedule.' "

[(3) राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों को उपयोग का हक होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद-निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है, हक होगा।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 65 के खंड (3) में, 'privileges, emoluments and allowances' इन शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, 'emoluments, allowances and privileges' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** 447 ।

***डॉ. पी.एस. देशमुखः** मसौदा-समिति के सब संशोधनों पर एक साथ मत ले लिये जायें।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** कुछ शायद पेश ही न किये गये हों।

***अध्यक्षः** तो फिर मैं इसी तरह चलूंगा। एक एक करके।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 66 की व्याख्या में, 'For purposes of this clause' इन शब्दों के स्थान पर 'For the purposes of this article' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 449 को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 72 के खंड (1) के उप-खंड (ख) में, 'offence under any law' इन शब्दों के स्थान पर 'offence against any law' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(श्री नजीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 586 पर जोर नहीं दिया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 73 के खंड (1) के परन्तुक में, 'any State' इन शब्दों के पश्चात् 'specified in Part A or Part B of the First Schedule' ये शब्द तथा वर्ण प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 81 के खंड (1) के उपखंड (क) में, 'अनुच्छेद 331' इस शब्द तथा अंकों के स्थान पर 'अनुच्छेद 82 तथा 331' ये शब्द तथा अंक रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 452 में, अनुच्छेद 100 के प्रस्थापित खंड (3) में, 'until Parliament by law otherwise provides, the quorum' इन शब्दों के स्थान पर, 'the quorum' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 452 में अनुच्छेद 100 के प्रस्थापित खंड (3) में, 'one tenth' के स्थान पर, 'one-sixth' शब्द रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं सं. 589 को वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 100 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रखे जायें:—

'(3) Until Parliament by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of either House of

Parliament shall be one-tenth of the total number of members of the House.

(4) If at any time during a meeting of a House there is no quorum, it shall be the duty of the Chairman or Speaker, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum.' "

[(3) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी।

(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो सभापति या अध्यक्ष या उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 104 में, 'The Government of India' इन शब्दों के स्थान पर 'the Union' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 105 के खंड (1) में 'subject to the rules and standing orders' इन शब्दों के स्थान पर 'subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 455 में, अनुच्छेद 114 के खंड (2) में, 'whether an amendment is inadmissible' इन शब्दों के स्थान पर

[अध्यक्ष]

(जिन्हें प्रस्थापित करने की प्रस्थापना है) 'as to the admissibility of the amendment' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब मैं संशोधन सं. 455 पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 114 के खंड (2) में, 'the amendments which are admissible' इन शब्दों के स्थान पर 'whether an amendment is inadmissible' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 491 पर जोर नहीं दिया।)

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 124 के खंड (1) में, 'seven other Judges' इन शब्दों के स्थान पर 'not more than seven other Judges' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 133 के खंड (1) का परन्तुक हटाया जाये, और कथित खंड के अंत के कोलन के स्थान पर 'पूर्ण विराम' रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 133 के खंड (2) के पश्चात् निम्न खंड जोड़ दिया जाये:—

'3. Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the Judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.' "

[(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम

न्यायालय में न होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर अनुच्छेद 135, और संशोधन सं. 458।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 135 में 'not being a matter referred to in any of the foregoing provisions of this Chapter' इन शब्दों के स्थान पर 'to which the provisions of article 133 or article 134 do not apply' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधन सं. 459।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 136 के खंड (1) में, 'The Supreme Court' इन शब्दों के स्थान पर 'notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर हम अनुच्छेद 145 को लेते हैं। मसौदा समिति का संशोधन सं. 460 है, तथा श्री कामत का सं. 550 भी है।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

***अध्यक्षः** फिर मैं संशोधन सं. 460 पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उप-खंड (ग) में, 'enforcement of the rights' इन शब्दों के स्थान पर 'enforcement of any of the rights' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 158, और संशोधन सं. 461।

[अध्यक्ष]

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 158 के खंड (3) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये:–

'(3) The Governor shall be entitled without payment of rent to the use of this official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.' "

[(3) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** सं. 462 ।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 162 के परन्तुक में, 'the Government of India' इन शब्दों के स्थान 'the Union' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** सं. 463 । और उस पर श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का संशोधन सं. 594 है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अनुच्छेद 168 पर एक और संशोधन मैंने पेश किया है कि 'बंगाल' के स्थान पर 'पश्चिमी बंगाल' रखा जाये। अत: इस पर संशोधित रूप में मत लिये जायें।

***अध्यक्ष्य:** हां, हम उस संशोधन को भी, जो आज बंगाल के नाम के विषय में पेश हुआ है, तथा 'बंगाल' नाम के स्थान पर 'पश्चिमी बंगाल' नाम रखने के विषय में जो आनुषंगिक परिवर्तन है उन्हें इसके साथ लेते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उप-खंड (क) के स्थान पर, निम्न उपखंड रखा जाये:—

'(a) in the States of West Bengal, Bihar, Bombay, Madras, Punjab and the United Provinces, two Houses.' "

[(क) पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब और युक्त प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से;]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 181, संशोधन सं. 464।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 181 के खंड (1) में, 'of a State' ये शब्द हटाये जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 181, संशोधन सं. 465।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 181 के खंड (2) में, 'house' शब्द के स्थान पर 'Assembly' शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** संशोधन सं. 466, और इस पर सं. 595 है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** सं. 595 नकारात्मक संशोधन है।

***अध्यक्ष:** अच्छा तो फिर। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 185 के खंड (1) में, 'of a State' ये शब्द हटाये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 189 और संशोधन सं. 467। इस पर कई संशोधन हैं। श्री नज़ीरुद्दीन अहमद का सं. 596 है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** इसमें वही बात है जो सं. 100 में है। शायद माननीय सदस्य उसे वापिस लेने के लिये तैयार होंगे।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** फिर श्री सिधवा का सं. 597 है। क्या आप इस पर जोर देते हैं? यह 'ten members or one-tenth' तथा 'twenty members or one-sixth' के विषय में है।

***श्री आर.के. सिधवा:** हां, श्रीमान।

***अध्यक्ष:** अच्छा तो फिर। प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 467 में, अनुच्छेद 189 के प्रस्थापित खंड (3) में, 'ten members or one-tenth' इन शब्दों के स्थान पर 'twenty members or one-sixth' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** फिर सं. 598। आप इसे वापिस लेते हैं, मेरे विचार में?

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं इसे वापिस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिया गया।

***अध्यक्ष:** संशोधन सं. 467।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 189 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखे जायें:–

'(3) Until the Legislature of the State by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of a House of the Legislature of a State shall be ten members or one-tenth of the total number of members of the House, whichever is greater.'

(4) If at any time during the meeting of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker or Chairman, or person acting as such, either to adjourn the House or the suspend the meeting until there is a quorum.' "

[(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(4) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न रहे, तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उसके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाये।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 46। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उप-खंड (ङ) में, 'the Legislature of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Parliament' शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 469। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 191 के खंड (2) में, 'either for India or for any such State' इन शब्दों के स्थान पर 'either for the Union or for such State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 470। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 193 में, 'the Legislature of the State' इन शब्दों के स्थान पर 'Parliament or the Legislature of the State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर सं. 471। इस पर एक संशोधन है—श्री कामत का सं. 554।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, मैं उस संशोधन को वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

***अध्यक्षः** फिर प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 194 के खंड (1) में, 'Subject to the rules and standing orders' इन शब्दों के स्थान पर 'Subject to the provision of this Constitution and to the rules and standing orders' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 472। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 204 के खंड (2) में, 'the amendments which are admissible' इन शब्दों के स्थान पर 'whether an amendment is inadmissible' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 473। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक के खंड (ग) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये:–

(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court with in the territory of India.' "

[(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अपने संशोधन सं. 599, 600 तथा 601 पर जोर नहीं दिया।)

***अध्यक्षः** सं. 474। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 230 में 'any State' इन शब्दों के पश्चात् 'specified in the First Schedule' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 475। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 232 में 'more than one State' इन शब्दों के पश्चात्, 'specified in the First Schedule' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 476। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 234 में, 'Governor' शब्द के पश्चात् 'of the State' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें और 'High Court' इन शब्दों के पश्चात् 'exercising jurisdiction in relation to such State' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 77। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 238 की मद (4) में, अनुच्छेद 158 के प्रस्थापित खंड (3) में, 'entitled to the use of an official residence without payment of rent, and there shall be paid to the Rajparamukh such allowances' इन शब्दों के स्थान पर 'entitled without payment of rent to the use of an official residence and shall be also entitled to such allowances and privileges' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 478। वह वापस ले लिया गया, क्योंकि सं. 556 में वह आ जाता है। सं. 479 को भी वापिस ले लिया गया है।

सं. 480। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 289 के खंड (2) में, 'any property used or occupied for the purposes thereof, or any income accruing or arising therefrom' इन शब्दों के स्थान पर 'any property used or occupied for the purposes of such trade or business, or any income accruing or arising in connection therewith' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 481। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 294 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रखा जाये:–

'294 *Succession to property, assets, rights, liabilities and obligations in certain cases.*—As from the commencement of this Constitution—

(a) all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of the Dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in His Majesty for the purposes of the Government of each Governor's Province shall vest respectively in the Union and the corresponding State, and

(b) All rights, liabilities and obligations of the Government of the Dominion of India and of the Government of each Governor's Province, whether arising out of any contract or othersise, shall be the rights, liabilities and obligations respectively of the Government of India and the Government of each corresponding State, subject to any adjustment made or to be made by reason of the creation before the commencement of this Constitution of the Dominion of Pakistan or of the Provinces of West Bengal, East Bengal, West Punjab and East Punjab.' "

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने अनुच्छेद 294 और 366 पर अपने संशोधन सं. 604 और 606 पर जोर नहीं दिया।

***अध्यक्षः** सं. 482। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 295 के खंड (1) के उप-खंड (क) में 'the commencement of this Constitution' इन शब्दों के स्थान पर 'such commencement' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 483। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 295 के खंड (1) के उप-खंड (क) में, 'the Government of India' शब्दों के स्थान पर 'the Union' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 484। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 296 में 'His Majesty' इन शब्दों के पश्चात्, पहले स्थान पर जहां वे हैं, 'or as the case may be, to the Ruler of an Indian State' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 485। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 296 के परन्तुक में, 'His Majesty' इन शब्दों के पश्चात्, 'or to the Ruler of an Indian State' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 486। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 296 के साथ निम्न व्याख्या जोड़ दी जाये:–

"Explanation—In this article, the expression 'Ruler' and 'Indian State' have the same meanings as in article 363."

[*व्याख्या*—इस अनुच्छेद में 'शासक' और 'देशी राज्य' पदों का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 363 में है।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 487। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 316 के खंड (1) के परन्तुक में 'under an Indian State' इन शब्दों के स्थान पर 'under the Government of an Indian State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर अनुच्छेद 319। संशोधन 488, 489 तथा 490। इन के स्थान पर कुछ विकल्प हैं। अतः ये वापिस ले लिये जाते हैं, मैं ऐसा समझ लेता हूं। फिर अनुच्छेद 320। संशोधन संख्या 491। किन्तु वह संशोधन सं. 559 में आ जाता है, और इस लिये मैं समझ लेता हूं कि 491 को वापिस ले लिया गया।

फिर अनुच्छेद 351 और संशोधन सं. 492।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 351 में, 'so specified' ये शब्द हटाये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 493। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 352 के खंड (2) में, '(in this Constitution referred to as a "Proclamation of Emergency")' ये कोष्ठक तथा शब्द हटाये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 494। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 353 के खंड (ख) में, 'the Government of India or officers and authorities of that Government' इन शब्दों के स्थान पर 'The Union or officers and authorities of the Union' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

*अध्यक्षः सं. 495। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (ख) में, 'Government of India or officers and authorities of that Government' इन शब्दों के स्थान पर, 'the Union or officers and authorities thereof' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 395। संशोधन सं. 496। किन्तु सं. 496 के स्थान पर संशोधन सं. 591 आ गया है, अतः वह वापिस लिया गया।

अनुच्छेद 366। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 366 के खंड (12) को हटाया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 366 के खंडों (13), (14), (15), (16), (17) तथा (18) की संख्यायें क्रमशः (12), (13), (14), (15), (16) तथा (17) की जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि इस प्रकार संख्या बदले हुए खंड (17) के पश्चात् निम्न खंड प्रविष्ट किया जाये:–

"(18) 'Proclamation of Emergency' means a Proclamation issued under clause (1) of article 352;"

[(18)'आपात की उद्घोषणा' से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई हो।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर हम अनुच्छेद 500 पर आते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** श्रीमान इसके स्थान पर संशोधन सं. 562 है।

***अध्यक्षः** अतः मैं ऐसा मान लूंगा कि इसे वापिस ले लिया गया। मुझे बताया गया है कि 501 को पेश नहीं किया गया। अतः हम 502 को ले लेते हैं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 370 के खंड (2) में 'in paragraph (ii) of Sub-clause (b)or in the second proviso to sub-clause (d) of clause (1), इन शब्दों, कोष्ठकों तथा अंक के स्थान पर 'in paragraph (b) of clause (1) or in the second proviso to sub-clause (d) of that clause' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** मैं देखता हूं कि 503 पर कई संशोधन हैं।

***पंडित बालकृष्ण शर्माः** श्रीमान, मैं सं. 416 तथा 417 को वापिस लेता हूं। संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 503 के निर्देश से अनुच्छेद 379 के खंड (1) में, 'the body functioning as the Constituent Assembly of the Dominion of India immediately before the commencement of this Constitution' इन शब्दों के स्थान पर 'the Constituent Assembly of India' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सं. 564 वापिस ले लिया गया। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 379 के खंड (1) में, 'shall exercise' इन शब्दों के स्थान पर 'shall be the provisional Parliament and shall exercise' यह शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (2) में, 'the provisional legislature' इन शब्दों के स्थान पर 'the Legislature' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 335 पर एक संशोधन (सं. 530) है जिसके पेश करने की अनुमति मैंने डॉ. देशमुख को दी थी?

कि 'members' शब्द के पश्चात् 'the backward classes' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

[अध्यक्ष]

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 335 में, 'members' शब्द के पश्चात् 'the Backward classes' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ है।

***अध्यक्ष:** फिर हम संशोधन सं. 545 पर आते हैं। इस पर कई संशोधन हैं। प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 में अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड (4) के उप-खंड (क) के परन्तुक को हटाया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** श्री अजित प्रसाद जैन का संशोधन सं. 580 संगत नहीं है। मैं 581 पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 में अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड (4) के उपखंड (क) में, 'or' शब्द के स्थान पर, जो अंत में है, 'and' शब्द रखा जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 के निर्देश से, अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड (4) के उप-खंड (ख) के स्थान पर, निम्न रखा जाये:—

'(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by a State under the authority conferred by Parliament under clause (7).' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 545 के निर्देश से, अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उप-खंड (ख) के स्थान पर निम्न रखा जाये:–

'(b) such person in detained in accordance with the provisions of any law made under the authority conferred by Parliament under clause (7).' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 22 के खंड [4] के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये:—

'(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or

(b) such preson is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).' "

[(4) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये निरूद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिये उसकी राय में पर्याप्त कारण है:

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (7) के उप-खंड (क) और (ख) के अधीन संसद निर्मित किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरूद्ध नहीं है।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** मैं देखता हूं कि संशोधन 546 पर दो संशोधन है। मैं पहले श्री कामत के संशोधन पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 546 में, अनुच्छेद 22 के प्रस्थापित खंड (7) के उप-खंड (क) में—

'without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4)' ये शब्द हटाये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ

***श्रीमती पूर्णिमा बनर्जीः** श्रीमान, मैं अपने संशोधन सं. 617 को वापिस लेती हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 22 के खंड (7) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये:–

'(7) Parliament may by law prescribe—

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, or a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and

(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).'"

[(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि—

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार मंत्रणा-मंडली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपबंधित करने वाली किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया जा सकेगा; तथा

(ग) खंड (4) के उप-खंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 32 के खंड (4) में, 'rights' शब्दों के स्थान पर 'right' शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं. 551, 552 तथा 553, सभा की अनुमति से, वापिस ले लिये गये।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 222 के खंड (1) में, 'The President may' इन शब्दों के पश्चात् 'after consultation with the Chief Justice of India' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 288 के खंड (1) की व्याख्या के स्थान पर, निम्न रखा जाये:—

'*Explanation.*—The expression 'law of a State in force' in this clause shall include a law of a State passed or made before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas.' "

[*व्याख्या*—इस अनुच्छेद में "राज्य में की कोई प्रवृत्ति विधि" के अंतर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहले ही निरसित न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवर्तन में न हो।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 319 के खंड (ग) में, 'as the Chairman of a State Public Service Commission other than a Joint Commission' इन शब्दों के

[अध्यक्ष]

स्थान पर 'as the Chairman of the Union Public Service Commission or as the Chairman of a State Public Service Commission' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 319 के खंड (घ) में, 'as the Chairman of any other State Public Service Commission' इन शब्दों के स्थान पर 'as the Chairman of that or any other State Public Service Commission' ये शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 320 के खंड (4) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये:

'(4) Nothing in clause (3) shall require a Public Service Commission to be consulted as respects the manner in which any provision referred to in clause (4) of article 16 may be made or as respects the manner in which effect may be given to the provisions of article 335.' "

[(4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा न होगी कि लोकसेवा-आयोग से उस रीति के बारे में परामर्श किया जाये जिससे कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध बनाया जाता है। अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभाव दिया जाना है।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 347 के स्थान पर, निम्न अनुच्छेद रखा जाये:—

"347. *Special provision relating to language spoken by a section of the population of a State.*—On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial proportion of the

population of a State desire the use of any language spoken by them to be recognised by that State, direct that such language shall also be officially recognised throughout that State or any part thereof for such purpose as he may specify.' "

[347. **किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.**–तद्विषेयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिज्ञा दी जाये।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

"**अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 365 में, 'the President may hold' इन शब्दों के स्थान पर 'it shall be lawful for the President to hold' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सूची 2 के संशोधन सं. 500 में, अनुच्छेद 367 के प्रस्थापित नये खंड (3) के परन्तुक को हटाया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

"**अध्यक्षः** संशोधन सं. 562 क।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** मैंने जो परिवर्तन का सुझाव दिया है, उसके साथ।

"**अध्यक्षः** हां अब वह इस प्रकार बन जायेगा और मैं उस पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 367 में, निम्न खंड जोड़ दिया जाये:—

'(3) For the purposes of this Constitution 'foreign State' means any State other than India:

Provided that, subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order declare any State not to

[अध्यक्ष]

be a foreign State for such purposes as may be specified in the order.' "

[(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये "विदेशी राज्य" से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई राज्य:

परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये जायें, घोषित कर सकेगा।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 385 में, 'such commencement' इन शब्दों के स्थान पर 'the commencement of this Constitution' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) में, 'the President of the Union' इन शब्दों के स्थान पर, दोनों जगह जहां वे हैं, 'the President of India' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परन्तुक में, 'mentioned in this article' इन शब्दों के स्थान पर 'mentioned in this clause' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** संशोधन सं. 568। इस संशोधन पर श्री कामत का संशोधन सं. 621 है। मैं पहले उस पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 568 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परन्तुक में, 'Part A of' ये शब्द तथा वर्ण हटाये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर मैं सं. 568 पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के प्रथम परंतुक में, 'representing a State' इन शब्दों के स्थान पर 'representing a Province or, as the case may be, a State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधन सं. 569। इस संशोधन पर संशोधन सं. 622 है। मैं पहले 622 पर मत लेता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 569 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'Part A of' ये शब्द तथा वर्ण हटाये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'representing a State' इन शब्दों के स्थान पर 'representing a Province or a State' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** संशोधन सं. 580। इस पर एक संशोधन सं. 623 है जिस पर मैं पहले मत लूंगा।

"कि सूची 4 के संशोधन सं. 570 के निर्देश से, अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'the Legislative Assembly of that State' इन शब्दों के स्थान पर 'the Legislative Assembly of that Province or of the corresponding State or of that State, wherever such Assembly has been constituted' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 388 के खंड (1) के द्वितीय परन्तुक में, 'Legislative Assembly of that State' इन शब्दों के स्थान पर 'Legislative Assembly of that Province or of the corresponding State or of that State, as the case may be' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 390 में, 'out of such Fund' इन शब्दों के स्थान पर 'out of either of such Funds' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 392 के खंड (3) के स्थान पर, निम्न खंड रखा जाये:–

'(3) the powers conferred on the President by this article, by article 324, by clause (3) of article 367 and by article 391 shall, before the commencement of this Constitution, be exercisable by the Governor-General of the Dominion of India.' "

[(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के खंड (3) और अनुच्छेद 391 द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां इस संविधान के प्रारम्भ से पहले भारत डोमीनियन के गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 394 में, '60' इस संख्या के पश्चात् '324', यह संख्या प्रविष्ट की जाये, और '388' संख्या के पश्चात् '391', संख्या प्रविष्ट की जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची के भाग 1 में, 'Territories of States' इस उपशीर्षक के अन्तर्गत, 'The territory of the State of Bombay...' इन शब्दों से आरम्भ

होने वाली तथा 'Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947' इन शब्दों तथा संख्या पर समाप्त होने वाली कंडिका को हटाया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची के भाग ख में, 'Territories of States' इस उप-शीर्षक के अन्तर्गत कंडिका के स्थान पर, निम्न कंडिका रखी जाये:—

'The territory of each of the States in this Part shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the corresponding Indian State, and—

(a) in the case of each of the States of Rajasthan and Saurashtra, shall also comprise the territories which immediately before such commencement were being administered by the Government of the corresponding Indian State whether under the provisions of the Extra-Provincial Jurisdiction Act, 1947, or otherwise; and

(b) in the case of the State of Madhya Bharat, shall also comprise the territory which immediately before such commencement was comprised in the Chief Commissioner's Province of Panth Piploda.'"

[इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के आरम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था तथा–

(क) राजस्थान और सौराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्यक्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार द्वारा प्रांतातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम 1947 के उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे आरम्भ से ठीक पहले प्रशासित थे; तथा

(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले पंथ पिपलोदा के मुख्य आयुक्त प्रान्त में समाविष्ट था।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची के भाग ग में, 'Territories of India' इस उप-शीर्षक के अन्तर्गत प्रथम दो कंडिकाओं के स्थान पर निम्न कंडिका रखी जाये:—

"The territory of each of the States of Ajmer, Coorg and Delhi Shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Ajmer-Marwara, Coorg and Delhi, respectively.' "

[अजमेर, कोड़गु और दिल्ली में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः अजमेर-मारवाड़ा, कोड़गु और दिल्ली के मुख्य आयुक्तों के प्रांत में समाविष्ट था।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 में, प्रविष्टि 8 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रखी जाये:–

'8. Central Bureau of Intelligence and Investigation.' "

[8. केन्द्रीय गुप्त वार्ता और अनुसंधान विभाग।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** फिर हम सूची 5 पर आते हैं। संशोधन सं. 614 पेश नहीं किया गया। मैं सं. 615 पर सदन का मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 75 में, 'Emoluments, allowances' इन शब्दों के पश्चात् 'privileges' शब्द प्रविष्ट किया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान, संशोधन सं. 616 पर मेरा एक संशोधन है जो मैंने आज सवेरे दिया था। उसे पेश हुआ समझ लिया गया था।

***अध्यक्षः** हां, मैं इस पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि 'except' शब्द के स्थान पर 'other than' ये शब्द रखे जायें और सप्तम अनुसूची, सूची 3 की प्रविष्टि 46 में दो अर्ध-विराम हटाये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***श्री एच.वी. कामतः** अशुद्ध विराम-चिह्न, श्रीमान।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 46 में, 'other than the Supreme Court' इन शब्दों के स्थान पर 'except the Supreme Court' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब हम सूची 6 पर आते हैं संशोधन सं. 618।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 148 के खंड (5) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाये:—

'(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor-General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor-General.' "

[(5) इस संविधान के तथा संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जैसी कि नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 3 की उप-कंडिका (1) के खंड (छ) को हटाया जाये, और अवशिष्ट खण्ड '(h), (i), (j) और (k)' के वर्णों की संख्या कमशः '(g), (h), (i) और (j) की जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

"**अध्यक्षः** संशोधन सं. 625। इस पर श्री चालिहा का संशोधन सं. 630 है। मैं उस पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि सूची 6 के संशोधन सं. 621 में, षष्ठ अनुसूची की कण्डिका (4) की प्रस्थापित उप-कंडिका की प्रथम तीन पंक्तियों के स्थान पर निम्न रखा जाये:—

'(4) That the Governor shall make rules regulating—' "

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका (4) में निम्न उप-कंडिका जोड़ी जाये:—

'(4) The Regional Council or the District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating—

(a) the constitution of village Councils and courts and the powers to be exercised by them under this paragraph;

(b) the procedure to be followed by village Councils or courts in the trial of suits and cases under sub-paragraph (1) of this paragraph;

(c) the procedure to be followed by the District or Regional Council or courts constituted by such Council in appeals and other proceedings under sub paragraph (2) of this paragraph;

(d) the enforcement of decisions and orders of such Councils and courts;

(e) all other ancillary matters for the carrying out of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.' "

[(4) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद् या जिला-परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से—

(क) ग्राम-परिषदों और न्यायालयों के गठन तथा इस कंडिका के अधीन प्रयोक्तव्य उनकी शक्तियों के;

(ख) इस कंडिका की उप-कंडिका (1) के अधीन व्यवहार-वादों और मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(ग) इस कंडिका की उप-कंडिका (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला परिषद् या ऐसी परिषद् द्वारा संगठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों के परिपालन के;

(ङ) इस कंडिका की उप-कंडिका (1) और (2) के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 5 की उप-कंडिका (3) में, 'and the Governor may by rules prescribe the procedure to be followed at such trial' इन शब्दों के स्थान पर 'to which the provisions of this paragraph or paragraph 4 apply' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि कंडिका 20 की उप-कंडिका (2) के परन्तुक में, 'clauses (e), (f) and (g)' इन शब्दों, कोष्ठकों तथा वर्णों के स्थान पर 'clauses (e) and (f)' ये शब्द, कोष्ठक तथा वर्ण रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 106 में, 'Constituent Assembly of India, इन शब्दों के स्थान पर 'Constituent Assembly of the Dominion of India' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 348 के खंड (3) में 'shall for the purposes of the said clause be deemed to be the authoritative text thereof' इन शब्दों के स्थान पर 'shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English language under this article' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब मैं संसद में श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के संशोधन पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि भाग 16 में 'minorities' शब्द के स्थान पर 'certain classes' ये शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि सप्तम अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 67 में, 'records' शब्द के पश्चात् 'and archaeological sites and remains' ये शब्द प्रविष्ट किये जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** एक आनुषंगिक संशोधन है।

प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची 7, सूची 3 की प्रविष्टि 40 में, 'and remains' इन शब्दों के पश्चात् 'other than those declared by Parliament by law to be of national importance' ये शब्द जोड़े जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** मैं मान लेता कि बंगाल के नाम के स्थान पर पश्चिमी बंगाल रखने के विषय में संशोधन स्वीकृत हो गया। ठक्कर बापा का एक संशोधन है जिस पर मैं सदन का मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि परन्तुक 164 के परन्तुक में ये शब्द प्रविष्ट किये जायें, 'Provided that in the State of Madhya Bharat there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be in charge of the welfare of the Scheduled Castes and backward classes or any other work.' "

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** आज स्थगित होने से पूर्व, हम कार्यक्रम सम्बन्धी कुछ प्रबंध करेंगे कि हमें क्या करना है। मैं मान लेता हूं कि हम आज मध्यान्ह के पश्चात् नहीं बैठेंगे। मैं सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने बोलना चाहते हैं, ताकि मैं क्रम तथा समय नियत कर सकूं। अगले शनिवार को बैठने के विषय में मेरे लिये अभी विनिश्चय करना संभव नहीं है। मैं शुक्रवार को निश्चय करूंगा कि हम शनिवार को बैठेंगे या नहीं। दिन प्रति दिन के सत्रों के विषय में, सदन की इच्छा क्या है?

***कई माननीय सदस्यः** प्रति दिन पांच घन्टे।

"**प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रासः जनरल): ढाई बजे से साढे छह बजे सायंकाल तक एक बैठक, ताकि हम केवल एक बार आयेंगे।

***अध्यक्षः** प्रत्येक वक्ता के लिये क्या अवधि होगी।

***श्री के.एम. मुन्शीः** मेरा सुझाव है 15 मिनट हो, और प्रति दिन 5 घंटे हो ताकि सदस्यों को इस सत्र तथा अगले सत्र तक कुछ दिन मिल जायें।

***कई माननीय सदस्यः** आधा घंटा।

***अध्यक्षः** बीच की बात सही, प्रत्येक वक्ता के लिये 20 मिनट की अवधि होगी।

***माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकरः** अभी तो हम यही निर्णय कर सकते हैं कि हमें कल बैठना चाहिये या नहीं। इस बीच में यह अभीष्ट होगा यदि आप सदस्यों से कह दें कि जो बोलना चाहते हैं वे अपने नाम आप को दे दें। सामान्य वाद-विवाद में जो वक्ता भाग लेना चाहते हैं उनकी संख्या जानने के पश्चात् आप यह निश्चय कर सकेंगे कि हमें प्रति दिन दो सत्र करने चाहिये या नहीं और प्रत्येक वक्ता को कितना समय देना चाहिये। इस समय किसी को भी पता नहीं है कि कितने सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि वक्ता बहुत नहीं होंगे तो प्रत्येक सदस्य को अधिक समय भी दिया जा सकेगा और प्रति दिन एक सत्र से ही काम चल जायेगा। अतः मेरा सुझाव है कि आप केवल कल तक के लिये ही बैठक निश्चित करें और इस बीच सदस्यों से कहें कि वे अपनी इच्छा आपको बतायें, जिससे कि आपके पास वक्ताओं की सूची हो और आप अन्य बातों का निर्णय कर सकें कि प्रत्येक वक्ता को कितना समय मिले और प्रति दिन कितने सत्र हों—एक या दो।

***अध्यक्षः** मेरे विचार मैं यह व्यवहारिक सुझाव है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** क्या मैं कह सकता हूं श्रीमान, कि हम कल यथावत दस से एक तक तथा तीन से पांच बजे तक बैठें?

***अध्यक्षः** इस समय मेरा निश्चय है कि हम कल यथावत् 10 बजे समवेत हों और मैं सदस्यों से आशा करता हूं कि यदि वे वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं तो आज सायंकाल तक कार्यालय को अपने नाम भेज दें। उस सूचना से मैं बैठक का समय आदि निश्चित कर सकूंगा। मैं कह सकता हूं कि सदस्यों को अधिकार होगा कि वे नाम देने पर भी चाहें तो वाद-विवाद में भाग न लें।

सदन कल के 10 बजे तक के लिये स्थगित होता है।

तत्पश्चात् सभा बृहस्पतिवार 17 नवम्बर 1949 के 10 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD–HS-252 PSD–17-12-52–320